

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2011

तारांकित प्रश्नोत्तर

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्मार्टकार्ड वितरण हेतु शेष हितग्राही

1. (*क्र. 1894) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामवार कितने “स्मार्टकार्ड” चिन्हित हितग्राहियों को कार्ड का वितरण किया जाना शेष है ? कार्ड निर्माण एवं वितरण हेतु एजेन्सी कौन है ? क्या उसके द्वारा कार्ड निर्माण एवं वितरण प्रारंभ कर दिया और उसे कब तक यह कार्य पूर्ण करने के लिए दिया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : † संलग्न परिशिष्ट अनुसार 5354 चिन्हित हितग्राहियों को. “दि ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी”. जी हां. माह अगस्त-2010 से जनवरी-2011 तक का समय दिया गया था.

महारानी अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर को उपलब्ध करायी गयी दवाईयां

2. (*क्र. 449) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महारानी अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज जगदलपुर को वर्ष 2010-11 में कौन-कौन सी दवाईयां कितनी-कितनी कीमत की कब-कब उपलब्ध कराई गई ? (ख) दवा उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी कौन है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

विधान सभा क्षेत्र पत्थलगांव में निराश्रित/वृद्धा/विधवा पेंशन के लंबित प्रकरण

3. (*क्र. 971) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पत्थलगांव में कितने हितग्राहियों को निराश्रित वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन प्रदाय किया जा रहा है ? (ख) पेंशन के कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) विधान सभा क्षेत्र पत्थलगांव में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 8052 हितग्राहियों तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 1242 विधवा, सुखद सहारा योजना के 1281 विधवा तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1406 विधवा कुल 3929 विधवा हितग्राहियों को पेंशन प्रदाय किया जा रहा है. (ख) पेंशन के लंबित प्रकरण निरंक है.

आरंग वि. स. क्षेत्र में फाईलेरिया उन्मूलन हेतु आवंटित राशि

4. (*क्र. 491) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 01-01-2009 से 31-01-2011 तक की अवधि में नगर पंचायत आरंग में फाईलेरिया से कितने लोग ग्रसित हैं. वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में फाईलेरिया उन्मूलन के लिये आरंग स्वास्थ्य विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) आरंग नगर पंचायत के कितने तालाबों में फाईलेरिया उन्मूलन हेतु क्या-क्या कार्य कराये गये ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 30 लोग. वर्ष 2009-10 में रु. 87.300 तथा वर्ष 2010-11 में निरंक राशि. (ख) विभाग द्वारा नगर पंचायतों के तालाबों में कार्य कराने का प्रावधान नहीं है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्रांतर्गत दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदत्त पट्टे

5. (*क्र. 1503) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड पलारी, कसडोल एवं बलौदाबाजार के आर.आई.सर्किल लवन अंतर्गत पं. दीनदयाल ग्रामीण आवास योजनांतर्गत वर्ष 2006-07 से 31-1-11 तक कितने लोगों को जमीन के पट्टे दिये गये हैं ? (ख) कितने पट्टाधारियों को आज तक कब्जा नहीं मिला है ? (ग) यदि पट्टा नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला ? इसके लिए जिम्मेदारी तय की जायेगी क्या ? संबंधित अधिकारी या व्यक्ति पर कब्जा नहीं दिये जाने पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) पं. दीनदयाल ग्रामीण आवास योजनांतर्गत वर्ष 2006-07 से 31-1-11 तक विकासखण्ड पलारी में 210 विकासखण्ड कसडोल में 255 विकासखण्ड बलौदाबाजार 110 के आर.आई. सर्किल लवन में

कुल 575 पट्टे प्रदान किये गए.

(ख) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित सभी 575 पट्टाधारियों को कब्जा दिया गया है. (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

शासकीय आयुर्वेद तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों को शिष्यवृत्ति का प्रदाय

6. (*क्र. 1826) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों तथा चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों को वर्तमान में प्रति छात्र कितनी शिष्यवृत्ति दी जा रही है ? (ख) दोनों महाविद्यालयों के छात्रों की शिष्यवृत्ति का मापदण्ड क्या है तथा अंतर का क्या कारण है ? (ग) मेडिकल कॉलेजों की शिष्यवृत्ति को कब पुनरीक्षित किया गया है ? मेडिकल कॉलेज तथा आयुर्वेद कॉलेज हेतु शिष्यवृत्ति की पुनरीक्षित दर क्या है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों को वर्तमान में प्रति छात्र निम्नानुसार शिष्यवृत्ति दी जा रही है :-

क्र.	अध्ययन वर्ष	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों को प्रतिमाह स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (दिनांक 01-09-2009 से)	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छात्रों को प्रतिमाह स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (दिनांक 01-09-2009 से)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम वर्ष	रु. 18,000	रु. 23,000
2.	द्वितीय वर्ष	रु. 19,000	रु. 25,000
3.	अन्तिम वर्ष	रु. 20,000	रु. 27,000

(ख) शिष्यवृत्ति के संबंध में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है. छात्रों की कार्यवृत्ति का आंकलन करते हुये समय-समय पर शिष्यवृत्ति पुनरीक्षित की जाती है. (ग) मेडिकल कॉलेजों की शिष्यवृत्ति को आदेश दिनांक 11-09-2009 द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2009 से पुनरीक्षित किया गया है. मेडिकल कॉलेज एवं आयुर्वेद कॉलेज हेतु शिष्यवृत्ति की पुनरीक्षित दर उपरोक्त कंडिका-क अनुसार है.

जिला जांजगीर-चांपा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कन्याओं का विवाह

7. (*क्र. 1248) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वर्ष 2008 से वर्ष 2010 तक कितने-कितने जोड़ों का विवाह कराया गया ? कृपया विकासखण्डवार बतावें ? (ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक जोड़े को उपहार के रूप में क्या-क्या एवं कितने मूल्य की सामग्री प्रदान की जाती है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) प्रश्नांश अवधि में जिला जांजगीर-चांपा में 371 कन्याओं का विवाह कराया गया. विकासखण्डवार, वर्षवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) योजना प्रावधानों के तहत प्रति कन्या 4000/- के मान से सामग्री उपहार के रूप में दी जाती है. शासन द्वारा निर्धारित सामग्री एवं व्यय सीमा की सूची † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

रायगढ़ जिले में 20 सूत्रीय पट्टा कार्यक्रम के तहत आवंटित भूमि की खरीद बिक्री पर कार्यवाही

8. (*क्र. 2038) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में तहसीलवार 20 सूत्रीय पट्टा कार्यक्रम के तहत भूमिहीन, सीमांत एवं गरीब लोगों को दिये गये पट्टा की भूमि को बिना अनुमति के खरीद बिक्री के कितने प्रकरण वर्ष 2010 में प्राप्त हुए ? (ख) रायगढ़ जिले के रायगढ़ एवं पुसौर विकासखंड में उक्त प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में 20 सूत्रीय पट्टा कार्यक्रम के तहत भूमिहीन सीमान्त एवं गरीब लोगों को दिये पट्टे की भूमि को बिना अनुमति खरीद-बिक्री के प्रकरण वर्ष 2010 में निम्नानुसार पाये गये :-

1.	रायगढ़	193
2.	पुसौर	24
3.	घरघोड़ा	11

कुल 228

(ख) रायगढ़ एवं पुसौर के जो बिना अनुमति के खरीद-बिक्री के प्रकरण पाये गये हैं उनकी जांच कलेक्टर द्वारा संबंधित तहसीलदारों से कराई जा रही है.

अंग्रेजी शराब में डुप्लीकेट होलोग्राम लगाने की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

9. (*क्र. 1923) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शराब की बोतलों, शीशियों में लगने वाले होलोग्राम का मापदण्ड क्या है ? प्रतिमाह, प्रति फर्म को कितने होलोग्राम शासन से अधिकृत हैं ? (ख) क्या, वर्ष 2009 से 31-01-2011 तक अनाधिकृत रूप से डुप्लीकेट होलोग्राम कम्पनियों, फर्मों द्वारा लगने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी कम्पनी के विरुद्ध तथा उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शराब की बोतलों/शीशियों में प्रत्येक नग में होलोग्राम लगाने का मापदण्ड निम्नानुसार है :-

- (1) आकार-80 एम. एम. लंबाई, 15 एम. एम. चौड़ाई, 25 माइक्रोन मोटाई
- (2) रंग-स्पिरिट के लिए टी ब्लू, बियर के लिए परपल
- (3) अन्य फीचर्स/स्पेसीफिकेशन-होलोग्राम का मास्टर 2 डी/3 डी कनवेन्शनल सिस्टम और डॉट मैट्रिक सिस्टम से निर्मित होकर 4000 डी.पी.आई. या अधिक के साथ ऐनीमेशन इफैक्ट, कायनेटिक इफैक्ट, हिडन माइक्रोटेक्स्ट, कंसील्ड ऐनीमेटेड इमेज लेजर से देखी जाने वाली ऐनीमेटेड कोवर्ट इमेज और डिफरेक्टिव ऐनीमेटेड ग्लूशे पैटर्न के साथ ही लोगो/एम्बलेम शामिल है. प्रतिमाह प्रति फर्म को शासन द्वारा होलोग्राम की मात्रा निर्धारित नहीं है.

(ख) वर्ष 2009 से 31-1-2011 तक अनाधिकृत रूप से डुप्लीकेट होलोग्राम कम्पनियों, फर्मों द्वारा लगने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत खेल मैदान और स्टेडियम

10. (*क्र. 540) **श्री सौरभ सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कहां-कहां पर खेल के मैदान और स्टेडियम, कितनी लागत से कब स्वीकृत हुए एवं कहां-कहां प्रस्तावित है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं † प्रपत्र “ब” में है।

कुरुद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत दत्तक पुत्री योजना के तहत चयनित छात्राएं

11. (*क्र. 358) **श्री लेखराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009-2010 से 31-01-2011 तक दत्तक पुत्री योजना अंतर्गत कितनी छात्राओं का चयन किया गया ? (ख) चयन हेतु उक्त अवधि में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? (ग) चयन का आधार क्या है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) प्रश्नांश अवधि में कुरुद विधान सभा क्षेत्र की 4768 बालिकाओं को दत्तक पुत्री शिक्षा योजना के तहत चयन किया गया है। (ख) दत्तक पुत्री शिक्षा योजना अंतर्गत हितग्राही के चयन हेतु आवेदन प्राप्त नहीं किये जाते हैं अतः प्राप्त आवेदनों की जानकारी निरंक है। (ग) दत्तक पुत्री शिक्षा योजना के तहत बालिकाओं के चयन का आधार निम्नानुसार है :—

1. ऐसे बच्चे जिन्होंने गरीबी के कारण स्कूल छोड़ दिया है।
2. ऐसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं परन्तु जल्दी ही स्कूल छोड़ने वाले हैं।

जिला जांजगीर-चांपा में अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही

12. (*क्र. 2058) **श्री दूजराज बौद्ध** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के कितने स्थानों पर शराब की लायसेंस दुकानें हैं ? (ख) 2008 से 31-1-2011 तक की स्थिति में जांजगीर-चांपा जिले में कितने व्यक्ति अवैध शराब बेचते हुए पकड़े गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) आरोपी का स्थानवार नाम सहित जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 94 (चौरानबे). (ख) एवं (ग) निरंक.

सरगुजा जिले में पाले से खराब हुई फसलें

13. (*क्र. 1097) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर, 2010 एवं जनवरी 2011 में सरगुजा जिले में पाले के कारण कुल कितने हेक्टेयर में रबी की फसलों का नुकसान हुआ ? (ख) क्या फसलों की क्षति के संबंध में मुआवजा के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) दिसम्बर 2010 एवं जनवरी 2011 में सरगुजा जिले के वाड्डफनगर तहसील में पाले के कारण 10.62 हेक्टेयर रबी फसल नुकसान हुआ है। (ख) फसलों के क्षति के संबंध में 55 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

रायगढ़ जिले के सारंगढ़ एवं बरमकेला विकासखण्ड में स्मार्ट कार्डों का वितरण

14. (*क्र. 299) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के सारंगढ़ एवं बरमकेला विकासखण्ड में कितने स्मार्ट कार्ड बनाये जाने थे ? कितने स्मार्ट कार्ड बनाकर बी.पी.एल. परिवारों को वितरण किये

गये ? (ख) स्मार्ट कार्ड से वंचित परिवारों को कब तक कार्ड वितरण किये जायेंगे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) सारंगढ़ विकासखण्ड में 48,485 एवं बरमकेला विकासखण्ड में 22,906 स्मार्ट कार्ड. सारंगढ़ विकासखण्ड में 17,329 एवं बरमकेला विकासखण्ड में 10,159 परिवारों को. (ख) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

सरायपाली थाना एवं बलौदा चौकी में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

15. (*क्र. 1987) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिला अंतर्गत सरायपाली थाना एवं बलौदा चौकी में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद की जानकारी 20 फरवरी, 2011 की स्थिति में बतायें ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) सभी स्वीकृत पद भरे हुए हैं.

एक्सपायरी डेट की दवाओं का निपटान

16. (*क्र. 26) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सालयों में एक्सपायरी डेट की दवाईयों को नष्ट करने/निपटारे की क्या प्रक्रिया है ? (ख) क्या यह सत्य है कि मेकाहारा की एक्सपायरी डेट की दवाईयों को खुले मैदान में फेंक दिया गया था ? (ग) यदि हां, तो इनका कुल मूल्य कितना है ? (घ) क्या मानव अधिकार आयोग ने मेकाहारा के स्टोर्स में दवाईयों की जांच की थी ? यदि हां, तो कब और क्या पाया ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एक्सपायरी डेट की दवाईयों के संबंध में चिकित्सालय में अनुपयोगी निष्प्रयोज्य सामग्री की तरह अपलेखन कर उसका विनष्टीकरण बायोमेडिकल वेस्ट की तरह किया जाता है. (ख) जी नहीं. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) मानव अधिकार आयोग द्वारा मेकाहारा के केन्द्रीय भण्डार का निरीक्षण किया गया है. दिनांक 29-10-2010 को †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

जिला महासमुंद में रेडी टू इट सामग्री के प्रदाय हेतु चयनित व्यक्ति/एजेन्सियां

17. (*क्र. 1951) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों में “रेडी टू इट” भोजन प्रदाय करने का ठेका किन-किन व्यक्तियों/एजेन्सियों को किस दर से, किस तारीख से, कब तक के लिये दिया गया है ? (ख) किन-किन एजेन्सियों द्वारा “रेडी टू इट” खाद्य सामग्री प्रदाय करना बंद कर दिया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जिले में किसी भी चयनित महिला स्व सहायता समूह द्वारा रेडी-टू-ईट सामग्री प्रदाय करना बंद नहीं किया गया है.

प्रदेश में संचालित झूलाघर तथा आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रदत्त अनुदान

18. (*क्र. 1307) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने झूलाघर और आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र हैं ? झूलाघर को शासन द्वारा प्रतिमाह कितना अनुदान दिया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन दो शासकीय तथा तीन अनुदान प्राप्त झूलाघर तथा 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं. छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग अनुदान नियम 2005 के अनुसार झूलाघरों के संचालन के लिए अनुदान दिया जाता है जिसका विवरण ‡‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

भाटापारा अनुभाग में सहकारी समितियों द्वारा खरीदे गए धान की मात्रा

19. (*क्र. 213) **श्री चैतराम साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 10-11 में दिनांक 31-1-11 तक वर्षों के कारण सहकारी समितियों में खरीदे गये धान में से कितनी मात्रा में धान भीगने की जानकारी है ? (ख) क्या सहकारी समितियों के द्वारा खरीदे गये धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में तालपत्री एवं सुरक्षा कैप की व्यवस्था की गयी थी ? (ग) किन-किन सोसायटी केन्द्रों में ज्यादा तौल लेने की शिकायतें प्राप्त हुई एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग के अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 31-1-2011 तक अस्सामयिक वर्षों से सहकारी समितियों (धान उपार्जन केन्द्रों) में क्रमशः 38,596.40 क्विंटल तथा 37,848.00 क्विंटल धान भीगने की जानकारी प्राप्त हुई है. (ख) सहकारी समितियों में तालपत्री/सुरक्षा कैप की व्यवस्था की गई थी. (ग) भाटापारा अनुभाग के किसी भी सोसायटी केन्द्रों में ज्यादा तौल लेने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

प्रदेश में मदिरा से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य

20. (*क्र. 1883) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में मदिरा से कितने राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य था एवं कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें. (ख) वर्ष 2011-12 में मदिरा से राजस्व का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में मदिरा से राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्त राजस्व की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	निर्धारित राजस्व लक्ष्य	प्राप्त आय
2008-09	6,30,41,00,597/-	7,02,40,31,243/-
2009-10	7,41,95,30,930/-	8,31,36,56,508/-
2010-11	8,75,34,17,014/-	8,39,71,00,339/- (माह जनवरी, 2011 तक)

(ख) रुपये 10,00,00,87,683/-

प्रदेश में स्थित शक्कर कारखानों की उत्पादन क्षमता

21. (*क्र. 2028) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश में सहकारी शक्कर कारखाना किन-किन स्थानों पर स्थापित है ? स्थानवार कारखाना प्रारंभ की तिथि सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक “क” के तहत स्थापित एवं संचालित शक्कर कारखानों की वर्ष 2010 में प्रतिमाह उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है तथा प्रतिमाह गन्ना की खपत क्या है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) शक्कर कारखानों की उत्पादन क्षमता नहीं, बल्कि पेराई क्षमता होती है. विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों हेतु डायवर्सन

22. (*क्र. 2009) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में उद्योगवार वर्ष 2007 से 2010 तक की अवधि में कुल कितनी कृषि भूमि का डायवर्सन गैर कृषि कार्य के लिए 100 करोड़ से अधिक के स्थापित एवं स्थापित होने वाले उद्योगों के पक्ष में किया गया है ? (ख) क्या अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के लिए डायवर्सन किया जा सकता है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

गरियाबंद में संचालित चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति

23. (*क्र. 1646) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-रायपुर अंतर्गत गरियाबंद में 50 बिस्तर अस्पताल में, चिकित्सक सहित, अन्य स्टॉफ के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) क्या स्वीकृत पदों के विरुद्ध स्टॉफ पदस्थ है ? यदि नहीं, तो रिक्त पद की जानकारी दें. रिक्त पद की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न परिशिष्ट के कालम 2 अनुसार. (ख) जी नहीं. † संलग्न परिशिष्ट के कालम 3 अनुसार. निश्चित समय बता पाना संभव नहीं है.

माना कैंप रायपुर में विस्थापित वृहद, असहाय लोगों को प्रदत्त सुविधाएं

24. (*क्र. 2045) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कमान्डेंट, पुनर्वास विभाग माना कैंप (रायपुर) के अधीनस्थ पी.एल. होम क्रमांक 1 एवं 3 विस्थापित गृह में कितने वृहद/असहाय कब से निवासरत हैं ? (ख) कंडिका “क” निवासरत लोगों को कौन-कौन सी सुविधाएं मुहैया कराए जाने का प्रावधान है ? क्या-क्या सुविधाएं वर्तमान में दी जा रही हैं ? उस पर कितना-कितना खर्च विगत 3 वर्ष में किया गया ? (ग) क्या कंडिका “क” के पी. एल. होम में अव्यवस्था/अनियमितता की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां तो कब, क्या जांच करायी गई, जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कमान्डेंट, पुनर्वास विभाग माना कैंप रायपुर के अधीनस्थ पी.एल. होम क्रमांक 1 में वृद्ध/असहाय 118 परिवार एवं पी.एल. होम क्रमांक 3 में 55 परिवार, माह फरवरी, 1980 से निवासरत हैं. (ख) कंडिका “क” निवासरत लोगों को आवास सुविधा, केशडोल, रियायती दर पर चांवल, सूती वस्त्र के अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं, विवाह एवं दाह संस्कार अनुदान देने का प्रावधान है. उक्त सुविधाएं वर्तमान में दिया जा रहा है. उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करने संबंधी निर्धारित नार्म्स †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में है. विगत तीन वर्षों में खर्च का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	मद का विवरण	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
1.	केशडोल	3,14,136	3,14,136	3,14,136
2.	चांवल	2,01,375	2,01,375	2,01,375
3.	सूती वस्त्र	1,27,628	1,27,628	1,27,628
4.	चिकित्सा सुविधा	15,430	59,019	57,559
5.	दाह संस्कार अनुदान	6,300	11,700	1,800
6.	विवाह अनुदान	-	4,000	-

(ग) जी नहीं.

रेडी-टू-ईट-फूड निर्माण हेतु स्व-सहायता समूहों को प्रदत्त आदेश

25. (*क्र. 595) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्य मंत्री शिशु शक्ति आहार (रेडी-टू-ईट-फूड) योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में खाद्य सामग्री निर्माण हेतु किन-किन जिलों में, किन-किन स्व-सहायता समूहों को प्रदाय आदेश दिया गया ? इन स्व-सहायता समूहों को इसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया ? (ख) रेडी-टू-ईट के निर्माण के बाद कितने प्रतिशत नमूने भारत सरकार के मुंबई स्थित प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजे जाते हैं ? (ग) सरगुजा जिले में वर्ष 2009-10 में निर्मित रेडी-टू-ईट के कितने नमूने जांच हेतु भेजे गये ? क्या यह उक्त मापदण्ड के अनुरूप है ? (घ) क्या रेडी-टू-ईट के निर्माण तिथि बैच नं. तथा निर्माणकर्ता स्व-सहायता समूह के नाम का उल्लेख होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या उसका उल्लेख किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) रेडी-टू-ईट फूड निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 में जिन स्व-सहायता समूहों को आदेश दिया गया था उनकी जिलेवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. स्व-सहायता समूहों को वर्ष 2009-10 में रेडी टू ईट फूड के लिए कुल राशि रु. 31,80,98,697/- का भुगतान किया गया. (ख) रेडी-टू-ईट फूड प्रदाय करने वाले समूहों की संख्या के 20 प्रतिशत नमूने प्रतिमाह चक्रानुक्रम में खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की मुंबई स्थित प्रयोगशाला में भेजे जाने के निर्देश हैं. (ग) सरगुजा जिले में वर्ष 2009-10 में निर्मित रेडी-टू-ईट के कुल 56 नमूने जांच हेतु भेजे गए हैं. जी नहीं. (घ) जी हां. उल्लेख किया गया है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

विदेशों में दवाईयों की सप्लाई/बिक्री

1. (क्र. 27) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजधानी रायपुर से तस्करी करके बांग्लादेश को दवा सप्लाई करने का मामला प्रकाश में आया है ? (ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

कुरूद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न पेंशनधारियों की संख्या

2. (क्र. 359) श्री लेखराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरूद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विधवा पेन्शन, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, सुखद सहारा, निराश्रित वृद्धा पेन्शन योजनांतर्गत वर्ष 2008-2009 से 31-01-2011 तक की स्थिति में पेन्शनधारियों की संख्या कितनी है ? जनपद पंचायतवार बतावें. (ख) उपरोक्त योजना के पेन्शनधारियों को प्रतिमाह किस तारीख तक पेन्शन दिये जाने का प्रावधान है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) पेन्शनधारियों की संख्या कुरूद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायतवार निम्नानुसार है :—

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	वर्ष	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	जनपद पंचायत कुरूद	2008-2009	-	1598	1220	2217	5035
		2009-2010	-	1867	1496	2773	6136
		2010-2011	283	1729	1245	2967	6224
		(31-01-2011 तक)					
2.	जनपद पंचायत मगरलोड	2008-2009	126	189	228	522	1065
		2009-2010	133	208	253	479	1073
		2010-2011	171	243	291	572	1277
		(31-01-2011 तक)					

(ख) पेंशनधारियों को प्रतिमाह 07 तारीख तक पेंशन भुगतान किये जाने का प्रावधान है.

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेंशन योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राही

3. (क्र. 852) श्री बैदूराम कश्यप : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड दरभा/तोकापाल/बास्तानार/लोहण्डीगुड़ा में वर्ष 2010-11 में कितने बी.पी.एल. परिवार के हितग्राहियों को पेंशन योजनांतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी ? (ख) पेंशन हेतु हितग्राहियों का चयन किस वर्ष की गरीबी रेखा सर्वे सूची अनुसार किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड दरभा में 1208 हितग्राही, तोकापाल में 387 हितग्राही, बास्तानार में 58 हितग्राही तथा लोहण्डीगुड़ा में 535 हितग्राही कुल 2188 बी.पी.एल. परिवार के हितग्राहियों को वर्ष 2010-2011 में पेंशन योजनांतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी. (ख) पेंशन हेतु हितग्राहियों का चयन वर्ष 2002 की गरीबी रेखा सर्वे सूची अनुसार किया गया है.

मदिरा विक्रय से प्राप्त राजस्व

4. (क्र. 965) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010/11 में 31 जनवरी, 2011 की स्थिति में देशी एवं विदेशी शराब की कितने दुकानें संचालित हैं ? अलग-अलग जिलेवार जानकारी दें ? (ख) उक्त दुकानों में चालू वर्ष में 31-01-2011 तक कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) देशी मदिरा की 706 एवं विदेशी मदिरा की 348 दुकानें. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) रुपये 8,39,71,00,339/- मात्र.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के नदियों के बाढ़ से कटाव हेतु किए गए उपाय

5. (क्र. 1247) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के नदी किनारे स्थित ग्रामों में बाढ़ के कारण होने वाले कटाव को रोकने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? (ख) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के नदी तट स्थित ग्रामों की कितनी-कितनी जमीन कटाव के कारण नदियों में समाहित हो गयी है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के नदी किनारे स्थित ग्रामों में बाढ़ के कारण होने वाले कटाव को रोकने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत महानदी तटबंध निर्माण के 9 कार्य राशि रुपये 91 लाख 85 हजार की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिया गया है. (ख) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के तहसील मालखरौदा के ग्राम सतगढ़ के 0.51 एकड़, ग्राम भुतहा के 0.23 एकड़, ग्राम अमेराडीह के 0.35 एकड़, ग्राम छोटरेबेली के 0.12 एकड़, ग्राम मरघटी के 63.36 एकड़ तथा ग्राम मिरौनी के 7.93 एकड़, तहसील जैजैपुर के ग्राम अमोदा के 82.42 एकड़, ग्राम परसदा के 21.88 एकड़, ग्राम ढोटमा के 5.24 एकड़, ग्राम देवरीमठ के 27.63 एकड़, ग्राम करही के 5.08 एकड़, ग्राम किकिरदा के 14.85 एकड़ तथा ग्राम बरेकेलकला के 23.45 एकड़ जमीन कटाव के कारण नदियों में समाहित हो गई है.

केडिया डिस्टीलरी को महुआ से मदिरा निर्माण हेतु प्रदत्त लाइसेंस

6. (क्र. 1368) **श्री भीमा मण्डावी** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केडिया डिस्टीलरीज को महुआ से शराब बनाने हेतु शासन द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है ? (ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में केडिया डिस्टीलरीज द्वारा कितने का महुआ क्रय किया गया एवं कुल कितनी शराब का उत्पादन किया गया ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता.

बस्तर एवं अंबिकापुर संभाग में नक्सली वारदातों में मृतकों के परिजनों को मुआवजा

7. (क्र. 1427) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में बस्तर संभाग एवं अंबिकापुर संभाग में नक्सलियों द्वारा कितनी वारदातें कहां-कहां की गईं ? दिनांकवार जानकारी दें ? (ख) उल्लेखित अवधि में नक्सली वारदातों में कितने नागरिक, कितने पुलिस एवं कितने एस.पी.ओ. के जवानों की मृत्यु हुई ? (ग) क्या यह सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा की राशि प्रदान कर दी गई है ?

गृह मंत्री (श्री ननकौराम कंवर) : (क) प्रदेश में वर्ष 2009-10 (दिनांक 01-04-2009 से 31-03-2010 तक) में नक्सलियों द्वारा बस्तर संभाग क्षेत्रांतर्गत जिला बस्तर में 55, नारायणपुर में 79, दंतेवाड़ा में 170, बीजापुर में 197, कांकेर में 118 एवं अंबिकापुर संभाग में जिला सूरजपुर में 02, जशपुर में 02, कोरिया में 01 एवं बलरामपुर में 20, कुल 644 वारदातें की गई हैं. वर्ष 2010-11 (दिनांक 01-04-2010 से 15-02-2011 तक) में नक्सलियों द्वारा बस्तर संभाग क्षेत्रांतर्गत जिला बस्तर में 20, नारायणपुर में 70, दंतेवाड़ा में 86, बीजापुर में 180, कांकेर में 94 एवं अंबिकापुर संभाग में जिला सूरजपुर में 03 एवं बलरामपुर में 10, कुल 463 वारदातें की गई हैं. दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे

परिशिष्ट पर है। (ख) उल्लेखित अवधि में नक्सली वारदातों में 228 नागरिक मारे गये हैं तथा राज्य पुलिस के 42 जवान, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के 163 जवान एवं 36 एसपीओ के जवान शहीद हुये हैं। (ग) नक्सली वारदातों में शहीद केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के 156 आश्रितों को 1578 लाख रुपये बीमा राशि एवं 158 आश्रितों को 474 लाख रुपये एक्सप्रेसिया राशि दिया गया व राज्य पुलिस के 41 आश्रितों को 412.75 लाख रुपये बीमा एवं 495 लाख रुपये एक्सप्रेसिया राशि दिया गया। कुल 2959.75 लाख रुपये बीमा राशि एवं एक्सप्रेसिया राशि दी गई है। तथा 24 शहीद एसपीओ के आश्रितों को 120 लाख रुपये तथा 140 नागरिकों को 148 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दी गई है।

नगर पंचायत जरही जिला सरगुजा में शासकीय भूमि में अतिक्रमण पर कार्यवाही

8. (क्र. 1759) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पंचायत जरही जिला सरगुजा में स्थित भूमि खसरा नंबर 790/1, रकबा 2.26 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 790, रकबा 2.46 हेक्टेयर की भूमि शासकीय है ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर अतिक्रमण है ? यदि हां, तो इस भूमि पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? (ग) क्या प्रश्नांक क में उल्लेखित रकबे की शासकीय भूमि में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पंचायत जरही के अध्यक्ष एवं पार्षदों द्वारा दिनांक 17-01-2011 को कलेक्टर सरगुजा को शिकायत की गई थी यदि हां तो कलेक्टर सरगुजा द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) नगर पंचायत जरही में स्थित भूमि ख. नं. 790 रकबा 2.27 हे., राजस्व अभिलेख में गौठान शासकीय भूमि मद में दर्ज थी जिसमें से ख. नं. 790/1 रकबा 2.13 हे. गौठान (शासकीय भूमि) एवं ख. नं. 790/2 रकबा 0.14 हे. देवाराम आ. करम साय रजवार के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व में न्यायालय अपर कलेक्टर सरगुजा के रा.प्र.क्र. 23 अ-3/07-08 आदेश दिनांक 17-04-08 के अनुसार दर्ज है। (ख) उक्त भूमि ख. नं. 790/1 रकबा 2.13 हे. में कुछ अतिक्रमण किया गया है। जिसमें से 0.26 हे. पर देवाराम आ. करमसाय द्वारा दुकान, मकान, बाड़ी बनाकर 0.001 हेक्टेयर (150 वर्ग फीट) पर नारायण पिता मोती रजवार द्वारा दुकान बनाकर तथा 0.001 हेक्टेयर (100 वर्गफीट) पर श्यामलाल पिता नवल साय पनिका द्वारा मकान बनाकर बेजा कब्जा किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा बेजा कब्जा पंजी में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय तहसीलदार प्रतापपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें कार्यवाही जारी है। (ग) ख. नं. 790/1 रकबा 2.13 हे. में बेजा कब्जा के विरुद्ध नगर पंचायत अध्यक्ष जरही एवं पार्षदों द्वारा कलेक्टर सरगुजा के समक्ष दिनांक 10-01-2011 को शिकायत की गई थी। शिकायत प्राप्त होने पर हल्का पटवारी से बेजा कब्जा रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित अनावेदक गणों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही जारी है।

उद्योगों द्वारा कृषि भूमि की खरीदी

9. (क्र. 1827) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 19 मार्च, 2010 से 15-01-2011 तक रायगढ़, चांपा-जांजगीर एवं कोरबा जिलों में उद्योगों द्वारा कितनी कृषि योग्य भूमि खरीदी गयी ? (ख) रायगढ़ जिले के घरघोड़ा एवं कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में कितने आदिवासियों की जमीन की खरीदी-बिक्री की गयी है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 19 मार्च, 2010 से 15-01-2011 तक रायगढ़ जिले में कुल रकबा 273.015 हेक्टेयर, जांजगीर-चांपा जिले में कुल 94.934 हेक्टेयर एवं कोरबा जिले में 13.721 हेक्टेयर उद्योगों द्वारा कृषि योग्य भूमि क्रय की गयी है। (ख) रायगढ़ जिले के घरघोड़ा तहसील में 130 आदिवासियों की भूमि खरीदी और बिक्री की गई एवं कोरबा जिले के कटघोरा तहसील की जानकारी निरंक है।

बसना एवं सरायपाली तहसील में पटवारी कार्यालय सह आवास भवन का निर्माण

10. (क्र. 1988) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के बसना एवं सरायपाली तहसील में कितने-कितने पटवारी हल्का नम्बर हैं और कितने पटवारी कार्यालय सह आवास बनाये गये हैं ? (ख) शेष पटवारी हल्का मुख्यालयों में पटवारी कार्यालय सह आवास भवन कब तक बना दिये जायेंगे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) महासमुंद जिले के बसना तहसील में 48 एवं सरायपाली तहसील में 52 पटवारी हल्का है। बसना तहसील में 06 तथा सरायपाली तहसील में 08 पटवारी कार्यालय सह आवास बनाये गये हैं। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

11. (क्र. 2029) **श्री नंद कुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-2011 में प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद रिक्त हैं ? संवर्गवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी जिलेवार बतावें ? (ख) रायगढ़ जिला अंतर्गत खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, बरमकेला, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, तमनार विकासखण्डों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं अन्य विभागीय कर्मचारियों के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने पदस्थ हैं ? विकासखण्डवार स्वीकृत तथा कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दें ? (ग) रिक्त पदों पर भर्ती/नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूर्ण की जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में 205 विशेषज्ञ, 275 चिकित्सा अधिकारी तथा 17 दंत चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं. विशेषज्ञ के 72, चिकित्सा अधिकारी के 123 एवं 11 दंत चिकित्सक के पद रिक्त हैं. † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” अनुसार. (ख) चिकित्सकों के 154 एवं कर्मचारियों के 667 पद स्वीकृत हैं. 88 चिकित्सक एवं 447 कर्मचारी पदस्थ हैं. † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

संचालित योजनाओं में एन.जी.ओ. का चयन तथा प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

12. (क्र. 2046) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा संचालित विकलांग कल्याण योजना, सुधारात्मक सेवा, निराश्रित योजना के तहत वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) क्या उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एन.जी.ओ. का चयन किया गया है ? यदि हां, तो योजनावार चयनित एन.जी.ओ. के नाम व पता का ब्यौरा दें ? इनके चयन का क्या आधार है ? (ग) कंडिका “ख” के किन-किन एन.जी.ओ. के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें मिली और क्या ? क्या शिकायत की जांच करायी गई ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष बतायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) विभाग द्वारा संचालित विकलांग कल्याण योजना, सुधारात्मक सेवा, निराश्रित योजना के तहत वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार राशि आवंटित की गई है. (ख) जी हां. उपरोक्त योजनाओं के आंशिक क्रियान्वयन हेतु एन.जी.ओ. का चयन किया गया है. नाम व पता परिशिष्ट दो अनुसार है. एन.जी.ओ. के चयन का निम्नलिखित आधार है :-

1. संबंधित संस्था का रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा पंजीयन आवश्यक है.
2. आवेदक संस्था विगत तीन वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए, और तीन वर्षों में किसी बैंक या पोस्ट आफिस में खाता संधारित होना चाहिए.
3. समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए.
4. निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 52(2) के तहत निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, तत्संबंधी पंजीयन प्रमाण-पत्र.
5. सुधारात्मक सेवा के स्वैच्छिक संस्था को किशोर न्याय अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 के तहत संचालित एन.जी.ओ. को प्रमाणन प्राप्त होना चाहिए.

(ग) कंडिका “ख” अनुसार †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर निम्नलिखित एन.जी.ओ. के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें पाई गई :-

1. सुधारात्मक सेवा अंतर्गत स्वैच्छिक संस्था छत्तीसगढ़ जनकल्याण संघ द्वारा संचालित गुरुकुल बाल आश्रम नंदनवन रायपुर की बच्चे बेचने की शिकायत मिली. गुरुकुल बाल आश्रम नन्दन वन, रायपुर के विरुद्ध शिकायत की जांच संचालनालय के उप-संचालक पंचायत एवं समाज सेवा द्वारा कराया गया. जांच के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप में संस्था का विभागीय मान्यता एवं दत्तक ग्रहण हेतु दी गई मान्यता तथा प्रदत्त प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) के अधिकार को समाप्त किया गया. प्रकरण में विधान सभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति द्वारा जांच की जा रही है.
2. निःशक्त कल्याण योजनांतर्गत स्वैच्छिक संस्था छत्तीसगढ़ हेण्डीकेपड बेलफेयर सोसायटी श्याम नगर रायपुर की संस्था का उचित प्रबंधन नहीं करने की शिकायत मिली. छत्तीसगढ़ हेण्डीकेपड बेलफेयर सोसायटी श्याम नगर रायपुर के शिकायत की जांच संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण रायपुर द्वारा की गयी. जांच में प्राप्त निष्कर्ष में संस्था का उचित प्रबंधन नहीं पाये जाने के कारण प्रथम किस्त अग्रिम अनुदान रोक दिया गया है.

रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

13. (क्र. 2054) **श्री नंदकुमार साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है ? कितने केन्द्रों हेतु भवन उपलब्ध है, और कितने केन्द्र भवन विहीन हैं, कितने केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं ? (ख) भवन विहीन केन्द्रों के लिए कब तक भवन उपलब्ध कराये जावेंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 180 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किया जा रहा है. 56 केन्द्रों हेतु भवन उपलब्ध है तथा 124 केन्द्र भवनविहीन हैं, 65 केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं. (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 के दोनों ओर स्थित देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें

14. (क्र. 2062) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 के दोनों ओर देशी एवं विदेशी मदिरा की कितनी दुकानें वर्ष 2010-11 में दिनांक 21-02-2011 की स्थिति तक संचालित हो रही है ? स्थानवार दुकान के मालिक के नाम पतावार जानकारी दें ? (ख) उक्त दुकानों के अलावा उक्त अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 के दोनों ओर अन्य स्थानों पर अवैध रूप से मदिरा का विक्रय करने के कितने प्रकरण पंजीबद्ध कर किस-किस आरोपी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) देशी मदिरा की 05 एवं विदेशी मदिरा की 06. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) निरंक.

धान की आद्रता मापन यंत्र के क्रय में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

15. (क्र. 2066) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में धान की नमी (आद्रता) की जांच हेतु विपणन संघ द्वारा कितने यंत्र, किस दर पर, किस कंपनी से खरीदे गए ? (ख) यंत्र की खरीदी के लिए क्या टेण्डर पद्धति अपनायी गयी ? यदि हां, तो किन-किन कंपनियों के टेण्डर प्राप्त हुए ? (ग) क्या खरीदी में अनियमितता की शिकायतें मिली है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) विपणन संघ द्वारा नमी (आद्रता) की जांच हेतु यंत्र की खरीदी नहीं की गई है. (ख) एवं (ग) प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत निर्धन कन्या विवाह योजना के तहत लाभान्वित जोड़े

1. (क्र. 333) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्धन कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से दिनांक 31-12-2010 तक कितने जोड़े सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र से लाभान्वित हुए हैं ? (ख) लाभान्वित जोड़े को शासन के द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) प्रश्नांश अवधि में सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र से 42 जोड़े लाभान्वित हुए हैं. (ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रति कन्या 5000/- के मान से व्यय राशि निर्धारित है, जिसमें से 4000/- रुपये उपहार सामग्री व 1000/- रुपये विवाह आयोजन पर व्यय किया जाना होता है. प्रश्नांश अवधि में सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र से लाभान्वित कन्याओं पर कुल 210000/- रुपये व्यय किये गये जिसमें 168000/- रुपये उपहार सामग्री तथा 42000/- रुपये विवाह आयोजन पर व्यय किये गये.

बस्तर जिले में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, पूरक पोषण आहार एवं एकीकृत बाल विकास योजना के तहत प्राप्त एवं व्यय राशि

2. (क्र. 458) **श्री संतोष बाफना** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, पूरक पोषण आहार योजना, एकीकृत बाल विकास योजना के लिये वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कितनी राशि बस्तर जिले को प्राप्त हुई ? (ख) आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों में व्यय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना नाम की कोई योजना संचालित नहीं है. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम एवं एकीकृत बाल विकास योजना के लिये प्रश्नाधीन अवधि में बस्तर जिले को प्राप्त राशि की जानकारी † संलग्न संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में महिला चिकित्सकों की पदस्थापना

3. (क्र. 568) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं ? इन स्थानों पर कब से किस महिला चिकित्सक की पोस्टिंग है ? कहां-कहां पर पद रिक्त हैं ? कब तक पदस्थापना होगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक के नाम से कोई भी पद स्वीकृत नहीं है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

अकलतरा एवं बलौदा तहसील में नामान्तरण और बंटवारे के लंबित प्रकरण

4. (क्र. 569) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा एवं बलौदा तहसील के अंतर्गत दिनांक 31-01-11 तक अविवादित नामान्तरण और बंटवारे के कितने प्रकरण कब से लंबित हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा एवं बलौदा तहसील के अंतर्गत दिनांक 31-01-2011 तक अविवादित नामान्तरण के 95 एवं अविवादित बंटवारे का 5 प्रकरण तीन माह की अवधि से लंबित है.

प्रदेश में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम का संचालन

5. (क्र. 871) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम का संचालन प्रदेश के किन-किन जिलों में हो रहा है ? इस कार्यक्रम में मरीजों को निःशुल्क कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ?

(ख) उक्त कार्यक्रम में भारत शासन, छ.ग. शासन एवं अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में कितनी राशि उपलब्ध करायी है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रदेश के सभी जिलों में इस कार्यक्रम के तहत मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद आपरेशन, बी.पी.एल. छात्रों को निःशुल्क चश्मा वितरण तथा नेत्रदान से प्राप्त नेत्र का निःशुल्क कार्निआ प्रत्यारोपण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. (ख)

क्र.	माध्यम जहां से राशि प्राप्त हुई	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11
1.	भारत शासन	927 लाख	167.30 लाख	निरंक
2.	छत्तीसगढ़ शासन	निरंक	निरंक	निरंक
3.	अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी	निरंक	निरंक	निरंक

पर्यवेक्षक एवं महिला बाल विकास अधिकारी के रिक्त पद

6. (क्र. 974) **श्री रामपुकार सिंह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक एवं महिला बाल विकास अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं ? जिलेवार बतावें ? (ख) जशपुर जिले में पर्यवेक्षक के पद कहां-कहां तथा कब से रिक्त हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक के 270 पद रिक्त हैं. पर्यवेक्षक के रिक्त पदों की जिलेवार एवं कार्यालयवार जानकारी प्रपत्र “अ” में † संलग्न है. विभागांतर्गत महिला बाल विकास अधिकारी पदनाम से कोई पद स्वीकृति नहीं है अतः तत्संबंधी जानकारी निरंक है. (ख) जशपुर जिले में पर्यवेक्षक के रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र “ब” में † संलग्न है.

अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

7. (क्र. 1104) **श्री टी. एस. सिंहदेव :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वा. केन्द्र और उपस्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित एवं प्रस्तावित है ? (ख) इन स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने कर्मचारियों और डॉक्टरों का सेटअप स्वीकृत है और कितने पद रिक्त हैं ? कब तक नियुक्ति होगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 58 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं. †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. विकासखण्ड अंबिकापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेन्ड्राकला एवं विकासखण्ड उदयपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र पेन्द्ररखी प्रस्तावित है. (ख) इन स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों के 30 पद तथा कर्मचारियों के 234 पद स्वीकृत हैं. डॉक्टरों के 21 पद तथा कर्मचारियों के 41 पद रिक्त हैं. निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर-चांपा में हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड का वितरण

8. (क्र. 1259) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कितने हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड वितरित किया गया है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) स्मार्ट कार्ड वितरण के मापदण्ड क्या हैं ? क्या मापदण्ड के तहत समस्त परिवारों को जिले में स्मार्ट कार्ड प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) स्मार्ट कार्ड के द्वारा प्रदेश के किन-किन अस्पतालों में मरीजों को उपचार उपलब्ध है ? नाम सहित बतायें ? (घ) जिले के पात्र समस्त परिवारों को स्मार्ट कार्ड कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 68,482 स्मार्ट कार्ड वितरित किया गया. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार. (ख) स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु जिले द्वारा प्रेषित ग्रामीण क्षेत्र के लिए वर्ष 2002 एवं शहरी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2007 की अधिसूचित बी.पी.एल. सूची

का उपयोग कर योजना के अंतर्गत जिले के लिए निर्धारित समयावधि में बीमा कंपनी द्वारा शिविर एवं माप-अप राउण्ड लगाकर स्मार्ट कार्ड का निर्माण कर वितरण किया जाता है. जी नहीं. निर्धारित समयावधि में ग्राम स्तर पर आयोजित शिविरों में संबंधित व्यक्ति के नहीं पहुंचने के कारण. (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार. (घ) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं.

जिला जांजगीर-चांपा के उद्योगों में कार्यरत सुरक्षाकर्मियों का चरित्र सत्यापन

9. (क्र. 1260) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के उद्योगों में कितनी-कितनी संख्या में सशस्त्र सुरक्षाकर्मी रखे गये हैं ? उद्योगवार नियुक्त सुरक्षाकर्मियों की जानकारी देवें ? (ख) जिले के उद्योगों में कार्यरत सुरक्षाकर्मियों में से कितने छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं एवं कितने अन्य प्रान्तों से आये हुए हैं ? उद्योगवार बतायें ? (ग) क्या जिले में कार्यरत उद्योगों के सुरक्षा कर्मियों का चरित्र सत्यापन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जिला जांजगीर-चांपा के 05 औद्योगिक इकाईयों में 15 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी कार्यरत हैं. उद्योगवार नियुक्त सुरक्षाकर्मियों की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) जिले के उद्योगों में कुल 659 सुरक्षाकर्मी कार्यरत हैं, जिसमें 308 छत्तीसगढ़ प्रदेश के मूल निवासी हैं एवं 351 अन्य प्रान्तों के हैं. उद्योगवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ग) सुरक्षा कर्मियों के चरित्र सत्यापन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद तथा बिलासपुर में मलेरिया उन्मूलन हेतु व्यय राशि

10. (क्र. 1319) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर जिले को मलेरिया उन्मूलन के तहत वर्ष 2009-10 एवं चालू वर्ष में कितनी-कितनी राशि दी गई ? (ख) कंडिका “क” के तहत कौन-कौन से मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार, मदवार बतायें ? (ग) कंडिका “क” के जिलों में मलेरिया से वर्ष, 2009-10 एवं चालू वर्ष में कितनी मौतें हुई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) †† संलग्न प्रपत्र “ब” एवं “स” अनुसार. (ग) †† संलग्न प्रपत्र “द” अनुसार.

दुर्ग जिले के थानों में गुमशुदगी के दर्ज प्रकरण

11. (क्र. 1441) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के थानों के अंतर्गत वर्ष 2007 से वर्ष 2010 तक गुमशुदगी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? इन प्रकरणों में महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों की संख्या कितनी है ? अलग-अलग थानेवार जानकारी देवें ? (ख) गुमशुदगी के पतासाजी हेतु पुलिस द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? (ग) कितने लोग मिल चुके हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला दुर्ग अंतर्गत थानों में गुमशुदगी के कुल 5814 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) जिला दुर्ग में विशेष रूप से गठित मिसिंग पर्सन स्क्वाड द्वारा गुम इंसानों की पतासाजी की जा रही है. समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को पतासाजी हेतु निर्देश दिये गये हैं. सरहदी थानों के समस्त पुलिस अधीक्षक छ. ग. एवं समस्त पुलिस अधीक्षक भारत को वितंतु संदेश के माध्यम से तलाश हेतु सूचित किया गया है. इस संबंध में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से प्रसारण हेतु राष्ट्रीय मिसिंग पर्सन स्क्वाड नई दिल्ली एवं पुलिस मुख्यालय छ. ग. द्वारा कार्यवाही आवश्यक के निर्देश दिये गये हैं. (ग) गुम इंसानों में से 5143 दस्तयाब हुये हैं.

जांजगीर-चांपा जिले में दर्ज प्रकरणों की न्यायालय में प्रस्तुती

12. (क्र. 1458) **श्री जयसिंह अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस अनुविभाग सक्ती के अन्तर्गत विभिन्न थानों में वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में कितने प्रकरण रजिस्टर्ड हुए हैं तथा कितने न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं ? (ख) प्रकरणों के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप लम्बित होने के कारण क्या-क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस अनुविभाग सक्ती के अंतर्गत विभिन्न थानों में वर्ष 2009-2010 में भादवि के 603 एवं अन्य अधिनियम के 451 कुल 1054 प्रकरण तथा वर्ष 2010-2011 (31 जनवरी 2011 तक) की अवधि में भादवि के 582 एवं अन्य अधिनियम के अंतर्गत 411 कुल 993 प्रकरण दर्ज किये गए हैं. इस प्रकार कुल 2047 दर्ज प्रकरणों में से 290 प्रकरण न्यायालय में अभी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. (ख) शेष 290 प्रकरण विवेचनाधीन होने से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं.

कोटवारों को मालगुजारी एवं सेवा भूमि का प्रदत्त भू-स्वामी अधिकार

13. (क्र. 1492) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से कोटवारों को मालगुजारी एवं सेवाभूमि का भू-स्वामी अधिकार कितने-कितने रकबा में प्रदान किया गया है ? (ख) किन-किन कोटवारों ने सेवा भूमि बेच दी है ? (ग) जिन कोटवारों को सेवा भूमि एवं मालगुजारी भूमि प्रदान नहीं की गई है, उनको किस दर से मानदेय राशि दी जाती है एवं कितने-कितने प्रकरण कोटवारों के विचाराधीन है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) आरंग विधान सभा के अंतर्गत कुल 97 कोटवारों को मालगुजारी भूमि का भूमि स्वामी अधिकार कुल रकबा 84.94 हे. का प्रदान किया गया है. सेवाभूमि का भूमिस्वामी अधिकार नहीं दिया गया है. जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) तहसील आरंग के अंतर्गत किसी भी कोटवार ने सेवा भूमि का विक्रय नहीं किया है. (ग) जिन कोटवारों को सेवा भूमि प्रदान नहीं की गई है, उनको रुपये 2000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय राशि दी जाती है.

तहसील सिमगा के ग्राम दावनबोड़ के प.ह.नं. 06 से संबंधित भू-अभिलेख की जानकारी

14. (क्र. 1517) **श्री चैतराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की सिमगा तहसील के ग्राम दावनबोड़ प.ह.नं. 06 में स्थित खसरा नंबर 396, 761, 802, 820, 1126, 1328, 1470, 1973, 2005, 2527, 2528, 2536 के कितनी भूमि भू-अभिलेखों पर किसके नाम पर आज दिनांक की स्थिति में दर्ज हैं और वर्तमान में किसके कब्जे में हैं ? (ख) क्या प्रश्नांक "क" में उल्लेखित खसरा नंबर/रकबा में कृषि कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त भूमि को किसके द्वारा उक्त कार्य के उपयोग में लाई जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले की सिमगा तहसील के ग्राम दावनबोड़ प.ह.नं. 6 में स्थित खसरा नंबर 396, 761, 802, 820, 1126, 1328, 1470, 1973, 2005, 2527 एवं 2536 रकबा क्रमशः 0.13, 0.10, 0.26, 0.23, 0.20, 0.09, 0.25, 0.13, 0.12, 0.07 एवं 0.20 कुल रकबा 1.78 हे. भूमि रामायण, साधू पिता चैतराम गोंड के नाम में दर्ज है जो वर्तमान में विजय वल्द रामनारायण के कब्जे में है. खसरा नं. 2528 रकबा 0.14 हे. भूमि कंवलसिंह वल्द सियाराम वगैरह के नाम पर वर्तमान पटवारी अभिलेख में दर्ज है और खातेदार कंवल सिंह वगैरह का ही कब्जा है. (ख) विजय पिता रामनारायण एवं कंवलसिंह पिता सियाराम वगैरह द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है.

ग्राम पंचायत-खपरीकला विकासखण्ड लोरमी के पात्र हितग्राहियों को पेंशन का प्रदाय

15. (क्र. 1628) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत-खपरीकला, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर में 15 फरवरी, 2011 की स्थिति में कुल कितने हितग्राही, वृद्ध पेन्शन, इन्दिरा सहारा पेन्शन, सुखद सहारा पेन्शन, विकलांग पेन्शन एवं अन्य पेन्शन प्राप्त करने की पात्रता शासकीय सूची के अनुसार रखते हैं ? (ख) क्या, यह सत्य है कि प्रश्नांक "क" में पूछे गये पेन्शन के पात्र हितग्राहियों को माह जुलाई, 2009 व माह नवम्बर, 2009 तथा माह दिसम्बर, 2009 की पेन्शन का बैंक से सरपंच द्वारा आहरण कर लिये जाने के बाद भी हितग्राहियों को पेन्शन प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां तो, उक्त राशि किस तिथि को, किस सरपंच एवं सचिव द्वारा आहरित की गयी है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) ग्राम पंचायत-खपरीकला, विकासखण्ड-लोरमी, जिला बिलासपुर में

15 फरवरी, 2011 की स्थिति में प्रश्नाधीन योजनाओं के अनुसार पेंशन प्राप्त करने की शासकीय सूची अनुसार पात्र हितग्राहियों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	योजना का नाम (2)	हितग्राहियों की संख्या (3)
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	103
2.	सुखद सहारा योजना (पूर्व नाम इंदिरा सहारा)	52
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	निरंक
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	07
5.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	18
योग		180

(ख) जी नहीं, प्रश्नांश “क” में पूछे गये पेंशन के पात्र हितग्राहियों को माह जुलाई, 2009 व माह नवम्बर, 2009 तथा माह दिसम्बर, 2009 की पेंशन राशि का भुगतान पेंशन धारियों को किया जा चुका है।

धमतरी जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

16. (क्र. 1679) **श्री लेखराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? (ख) रेडी टू ईट कार्यक्रम के तहत पोषण आहार वितरण के लिए कौन-कौन से स्थान पर नोडल इकाई बनाई गयी है और प्रति हितग्राही कितना-कितना पोषण आहार वितरण किया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) धमतरी जिले के शहरी क्षेत्र में 103 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में 853 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. (ख) जिले में रेडी-टू-ईट कार्यक्रम के तहत पोषण आहार वितरण के लिए बनाई गई नोडल इकाईयों की स्थानवार सूची प्रपत्र “अ” में † संलग्न है. रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार के प्रति हितग्राही वितरण की जाने वाली मात्रा † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

अम्बिकापुर में दिसंबर, 2010 में हुये अपहरण एवं हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

17. (क्र. 1725) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर, 2010 में अम्बिकापुर में किन-किन के अपहरण एवं हत्या में कुल कितने अभियुक्तों को प्रश्नांश अवधि तक गिरफ्तार किया गया है ? तथा कितने अभियुक्त फरार हैं ? प्रकरणवार बतायें. (ख) हत्याकांड में अभियुक्तों से फिरौती की कितनी रकम बरामद की गई तथा यह रकम किस-किस जगह पर बरामद की गई ? प्रकरणवार बतायें.

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) **1. अपहरण** :— थाना अम्बिकापुर में प्रार्थी श्याम दुबे साकिन दर्रीपारा अम्बिकापुर की पुत्री कुमारी मधु दुबे उम्र 17 वर्ष के अपहरण के आरोप में दिनांक 24-12-10 को अपराध क्र.-828/10 धारा 363, 366 भादवि दर्ज कर आरोपी दीपक पटेल पिता सूरज पटेल निवासी सौकी सुन्दरपुर सूरजपुर की तलाश की जा रही है जो अब तक फरार है.

2. हत्या :—

- (i) दिनांक 07-12-2010 को प्रार्थी श्याम प्रसाद निवासी विश्वकर्मा मंदिर के पास बैंक कालोनी अम्बिकापुर की सूचना पर कि उसका नाती राहुल रक्सैल उम्र 17 वर्ष दिनांक 07-12-2010 के प्रातः 10.00 बजे घर से निकला था जो दो दिन तक वापस नहीं आया है, इस पर थाना अम्बिकापुर में गुम इंसान क्र.-102/10 दर्ज कर पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 13-12-2010 को थाना राजपुर अन्तर्गत ग्राम बरहापारा टायरबांध तालाब में गुमशुदा का शव बरामद हुआ, जिस पर से थाना अम्बिकापुर में अपराध क्रमांक-812/10 धारा 302, 201 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है. अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं.

- (ii) दिनांक 24-12-2010 को प्रार्थी किरण लकड़ा निवासी नमनाकला अम्बिकापुर की सूचना पर थाना गांधीनगर में अपराध क्र.-401/10 धारा 302 भादवि दर्ज कर मृतक अश्विन लकड़ा पिता निकोलस लकड़ा की हत्या के आरोप में सुप्रिया भगत पुत्री स्व. रामकुमार उम्र 26 वर्ष साकिन नमनाकला को दिनांक 26-12-2010 को गिरफ्तार कर प्रकरण में चालान तैयार कर 24-02-2011 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

माह दिसम्बर 2010 में घटित अपहरण का आरोपी दीपक पटेल पिता सूरज पटेल साकिन सौकी सुन्दरपुर, सूरजपुर जिला सरगुजा घटना के बाद से फरार है। (ख) उपरोक्त दोनों हत्याकाण्ड में आरोपियों द्वारा किसी भी प्रकार की फिरोती की रकम नहीं मांगी गई थी। फिरोती रकम बरामदगी की जानकारी निरंक है।

गांजा तस्करी के दर्ज प्रकरण

18. (क्र. 1839) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से दिनांक 19-02-2011 तक अन्य राज्यों से प्रदेश में होने वाली गांजा तस्करी के कितने प्रकरण प्रकाश में आये ? (ख) तस्करो से कितना गांजा तथा रुपये जब्त किये गये ? (ग) प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में अन्य राज्यों से प्रदेश में होने वाली गांजा तस्करी के 332 प्रकरण प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज किये गये हैं। (ख) उक्त दर्ज प्रकरणों में 38602.153 किलोग्राम गांजा तथा 6080/- रुपये जप्त किए गए हैं। (ग) गांजा के अवैध तस्करी को रोकने के लिए समस्त पुलिस अधीक्षकों, पुलिस महानिरीक्षकों को परवाना जारी कर लॉज, होटल, ढाबों की चेकिंग कर मादक पदार्थों के परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु टास्कफोर्स के गठन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति का गठन कर आवश्यक निर्णय लिये गये तथा उनका पालन करने हेतु सर्व संबंधित को निर्देशित किया गया। समय-समय पर अधिकारी-कर्मचारियों की मिटिंग बुलाई जाकर मादक पदार्थों की रोक-थाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

राज्य शासन द्वारा सी.बी.आई. को सौंपे गये प्रकरण

19. (क्र. 1878) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य बनने के बाद से 20-02-2011 तक राज्य शासन द्वारा कुल कितने प्रकरण किन-किन विषयों के, किनसे-किनसे संबंधित, कब-कब, सी.बी.आई. को सौंपे गये हैं ? (ख) उक्त प्रकरणों की अलग-अलग अद्यतन स्थिति क्या-क्या है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) राज्य बनने के बाद से 20-02-2011 तक की अवधि में राज्य शासन द्वारा कुल 04 प्रकरण सी.बी.आई. को सौंपे गये हैं। शेष जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। (ख) भारत सरकार की संस्था सी.बी.आई. द्वारा कार्यवाही की गयी है। अतः इस कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी राज्य शासन द्वारा दी जाना संभव नहीं है।

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड का प्रदाय

20. (क्र. 1886) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों को स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाना है एवं कितनों को प्रदान कर दिया गया है ? शेष कितने कार्डधारियों को कब तक कार्ड वितरण कर दिया जावेगा ? (ख) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कुल कितने हितग्राहियों ने स्मार्ट कार्ड का प्रयोग कर कुल कितनी राशि का ईलाज करवा लिया है ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांक “ख” के अनुसार कुल ईलाज करवाये गये राशि में से कुल कितना पेमेन्ट विभिन्न अस्पतालों को दे दिया गया है एवं कितनी राशि दिया जाना शेष है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 26,539 बी.पी.एल. कार्डधारियों को, 13413 कार्डधारियों को, 13126 कार्डधारियों को शेष हैं। निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है। (ख) वर्ष 2009-10 में कुल 3 हितग्राहियों ने 14 हजार रुपये एवं 2010-11 में 1477 हितग्राहियों ने 61 लाख 85 हजार रुपये राशि का. (ग) राशि 61 लाख 88 हजार का भुगतान किया गया है। राशि 11 हजार दिया जाना शेष है।

रायगढ़ जिले के उद्योगों द्वारा प्रभावित कृषक को उपलब्ध कराए गए रोजगार

21. (क्र. 1925) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में 2008 से उद्योगों द्वारा कितने कृषकों की जमीन अधिग्रहित की गयी है ? (ख) क्या प्रभावित कृषकों को पुनर्वास नीति के तहत उद्योगों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? (ग) यदि हां, तो कितने लोगों को ? कितने शेष हैं ? शेष को कब तक रोजगार दिया जाएगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2008 से औद्योगिक प्रयोजन हेतु 484 कृषकों की जमीन अधिग्रहित की गई है. (ख) जी हां. (ग) 40 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है एवं शेष व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रचलित है.

महासमुंद जिला जेल की क्षमता तथा स्वीकृत पद

22. (क्र. 1961) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिला जेल में कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्गवार जानकारी देवें तथा स्वीकृत पद में कितने पदों में पदस्थापना की गई है कितने पद रिक्त हैं ? (ख) जिला जेल महासमुंद में कितने बन्दियों की क्षमता है वर्तमान में कितने बन्दी हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जिला जेल, महासमुंद में कुल 56 स्वीकृत पद हैं. वर्गवार जानकारी, स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी तथा रिक्त पदों की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) जिला जेल, महासमुंद में बंदियों की कुल क्षमता 70 है जिसके विरुद्ध दिनांक 25-02-2011 को कुल 199 बन्दी परिरूद्ध थे.

सरायपाली एवं बसना तहसील में पटवारियों को प्रदत्त कम्प्यूटर

23. (क्र. 1989) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली एवं बसना तहसील में कितने पटवारियों को कम्प्यूटर प्रदान किया गया है ? (ख) उक्त कम्प्यूटरों में से 20-02-2011 की स्थिति में कितने कम्प्यूटर खराब हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) सरायपाली तहसील में 28 एवं बसना तहसील में 25 कुल 53 पटवारियों को कम्प्यूटर प्रदान किया गया है. (ख) उक्त कम्प्यूटरों में से 20-02-11 की स्थिति में सरायपाली का 01 एवं बसना के 03 कुल 04 कम्प्यूटर खराब हैं.

कोरिया जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन

24. (क्र. 1991) **श्री दीपक कुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या, कोरिया जिले में एस.ई.सी.एल. द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि की मांग की गई है ? यदि हां, तो कब ? (ख) भूमि आवंटन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एस.ई.सी.एल. प्रबंधन बिलासपुर द्वारा माह 8/2010 में कोरिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि की मांग प्रस्तुत की गयी. (ख) एस.ई.सी.एल. की मांग के अनुक्रम में मनेन्द्रगढ़ स्थित भूमि क्रमशः ख. क्र. 453, 508 एवं 510 रकबा 13.645 हे., 18.412 हे. तथा 22.593 हे. चिन्हांकित किया गया. उक्त भूमि अभिलेखों में छोटे झाड़, बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपबंधों के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही हेतु वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ को प्रेषित की गयी है.

मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

25. (क्र. 1992) **श्री दीपक कुमार पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं ? कृपया विकासखण्ड एवं नगरीय क्षेत्र के नाम एवं स्थान सहित बतावें। (ख) क्या उपरोक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए स्वयं के भवन हैं ? यदि हां, तो किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन हैं ? (ग) जिन केन्द्रों के भवन नहीं हैं, उनके लिए कब तक भवन बना दिये जायेंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” अनुसार है। (ख) जी नहीं। मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 101 केन्द्रों के लिये स्वयं के भवन हैं, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पंडरिया विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय परिवार सहायता के लंबित आवेदन

26. (क्र. 2011) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कबीरधाम जिले के पंडरिया विधान सभा क्षेत्र में कितने आवेदन राष्ट्रीय परिवार सहायता के स्वीकृति/भुगतान हेतु लंबित है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : कबीरधाम जिले के पंडरिया विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय परिवार सहायता के आवेदन स्वीकृति/भुगतान हेतु लंबित नहीं है।

रायपुर एवं कबीरधाम जिले में प्रदान किए गए शस्त्र लायसेंस

27. (क्र. 2012) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में रायपुर एवं कबीरधाम जिले में किनको-किनको, कब-कब, किस-किस आधार पर किन-किन क्षेत्रों के लिए सशस्त्र लायसेंस प्रदान किए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : जिला रायपुर की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं जिला कबीरधाम की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है।

आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के द्वारा क्रय/विक्रय करने हेतु नियम एवं शर्तें

28. (क्र. 2023) **श्री चैतराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व की धारा 165 (7) के तहत अनु.जन.जाति (आदिवासी) की भूमि गैर आदिवासी के द्वारा क्रय करने हेतु क्या नियम एवं शर्तें हैं ? (ख) रायपुर जिले के अनुविभाग भाटापारा एवं बलौदाबाजार में गत तीन वर्ष के अन्दर कितने आदिवासी की भूमि की किस अधिकारी की मंजूरी से खरीदी/बिक्री हुई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) के तहत शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि को आदिवासी/गैर आदिवासी को विक्रय करने संबंधी नियम का प्रावधान है। भूमि को अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी के अनिम्न श्रेणी के अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं करेगा। (ख) रायपुर जिले के अनुविभाग भाटापारा एवं बलौदाबाजार में छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के तहत विगत तीन वर्षों के अंदर 182 आदिवासी कृषकों को भूमि बिक्री की अनुमति अपर कलेक्टर बलौदाबाजार द्वारा दी गई है।

रायगढ़ जिला में विकलांगों को दी गई सुविधाएं

29. (क्र. 2032) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में 22-02-2011 की अवधि में रायगढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर कब-कब विकलांग/निःशक्त जन शिविर का

आयोजन किया गया ? (ख) उल्लेखित शिविरों में निःशक्तजनों को विभिन्न योजनाओं के तहत क्या सुविधा कितनी-कितनी संख्या में प्रदाय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में दिनांक 22-02-2011 तक आयोजित निःशक्त जन शिविर की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित शिविरों में निःशक्तजनों की दी गई सुविधाओं की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

जिला रायगढ़ में कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

30. (क्र. 2041) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा अधिग्रहित कितने कृषकों के कितनी-कितनी कृषि भूमि के मुआवजा राशि का भुगतान लंबित है ? (ख) भूमि का मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा अधिग्रहित कृषकों की भूमि एवं लंबित मुआवजा भुगतान की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्यालय का नाम	कृषकों की संख्या	रकबा हेक्टेयर में	राशि लाख में
1.	केलो परियोजना विभाग	652	234.160	1065.14
2.	जल संसाधन विभाग	866	114.161	375.80
योग		1518	348.321	1440.94

(ख) मुआवजा राशि के वितरण की कार्यवाही जारी है. किसानों के संयुक्त खाता की भूमि होने से समस्त कृषक एक साथ उपस्थित नहीं होने एवं कृषकों के अन्यत्र रहने के कारण एवं पारिवारिक विवाद के कारण मुआवजा वितरण की कार्यवाही लंबित है. भू-अर्जन अधिकारियों को विशेष कैम्प लगाया जाकर मुआवजा वितरण करने के निर्देश दिये गये हैं.

रायगढ़ जिले में पटवारी हल्कों का कम्प्यूटरीकरण

31. (क्र. 2042) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले के रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला तहसील के पटवारी हल्कों में भुईयां कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कम्प्यूटरीकरण का कार्य पटवारी हल्कावार कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : रायगढ़ जिले के रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला तहसील के पटवारी हल्कों में खसरा एवं बी-1 अभिलेखों का शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा नक्शा का अद्यतीकरण कार्य प्रगति पर है. समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

रायपुर जिला अस्पताल भवन निर्माण की स्वीकृति

32. (क्र. 2047) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, राजधानी में जिला अस्पताल भवन निर्माण की स्वीकृति कब दी गई लागत सहित बतावें ? (ख) कंडिका “क” के लिए शासन ने कहां पर कितनी भूमि उपलब्ध करायी, और कब ? भूमि के रकबा/खसरा नं. की भी जानकारी दें ? (ग) भवन निर्माण के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित है ? वर्तमान में भवन निर्माण की स्थिति क्या है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) दिनांक 16-03-2005 को रुपये 302.00 लाख की स्वीकृति दी गई. दिनांक 30-03-2006 को रुपये 706.58 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई तथा दिनांक 26-02-2011 को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति लागत रुपये 1424.00 लाख की दी गई. (ख) पण्डरी स्थित कुष्ठ धाम (लेप्रोसी अस्पताल) परिसर में 5.564 एकड़ भूमि दिनांक 05-03-2007 को उपलब्ध करायी गयी है. भूमि का खसरा नं. 188 (आबादी)-रकबा 2.748 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 192 (घास)-रकबा 0.775 हेक्टेयर है. (ग) भवन निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति पश्चात् निविदा आमंत्रित कर अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य की समय-सीमा निर्धारित की जावेगी. कार्य अप्रारंभ है.

खेल मैदानों के संरक्षण/सुधारों हेतु स्वीकृत राशि

33. (क्र. 2048) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर राजधानी स्थित किन-किन खेल मैदानों के संरक्षण/सुधार के लिए कितनी-कितनी राशि वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं चालू वित्तीय वर्ष में जारी की गई ? (ख) कंडिका "क" के तहत किन-किन खेल मैदानों में क्या-क्या कार्य कराए गए ? लागत सहित बतावें ? (ग) क्या कंडिका "ख" के कार्यों में अनियमितता की शिकायत मिली ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला राजनांदगांव में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उत्थान हेतु शासन से प्राप्त आवंटन

34. (क्र. 2064) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2010-11 में दिनांक 21-02-2011 की स्थिति तक महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव को शासन द्वारा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उत्थान एवं कल्याण के लिये कितना आवंटन प्रदान किया गया है ? उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई है एवं कितनी शेष है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : वर्ष 2010-11 में प्रश्नाधीन अवधि तक महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उत्थान एवं कल्याण हेतु कुल 575000/- रुपये का आवंटन प्रदाय किया गया है. प्रदाय आवंटन में से प्रश्नाधीन अवधि तक 288029/- रुपये व्यय की गई है तथा शेष 286971/- रुपये शेष है.

धान क्रय हेतु बोरियों की खरीदी

35. (क्र. 2067) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 की धान खरीदी के लिए कितनी बोरियों की खरीदी कहां से किस दर पर की गई ? (ख) क्या बारदानों में गुणवत्ताहीन बारदानें मिलने की शिकायतें मिली ? यदि हां, तो कहां-कहां से एवं इसकी जांच कब किनके द्वारा की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 1894) की जानकारी]

क्र.	विकासखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम	वितरण हेतु शेष बी. पी. एल. परिवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छुरिया	रामपुर	रामपुर	7
2.	छुरिया	महराजपुर	महराजपुर	10
3.	छुरिया	महराजपुर	जनकपुर	5
4.	छुरिया	महराजपुर	रंगीटोला	9
5.	छुरिया	पाटेकोहरा	पाटेकोहरा	38
6.	छुरिया	पाटेकोहरा	रानीतलाब	10
7.	छुरिया	पिनकापार	पिनकापार	17
8.	छुरिया	पिनकापार	नवागांव	7
9.	छुरिया	भंडारपुर	भंडारपुर	16
10.	छुरिया	भंडारपुर	बिसाहूटोला	13
11.	छुरिया	लालूटोला	लालूटोला	6
12.	छुरिया	लालूटोला	बापूटोला	18
13.	छुरिया	छुरिया	छुरिया	66
14.	छुरिया	झिथराटोला	झिथराटोला	33
15.	छुरिया	झिथराटोला	बनियाटोला	29
16.	छुरिया	झिथराटोला	बरदा टोला	4
17.	छुरिया	नागरकोहरा	नागरकोहरा	14
18.	छुरिया	नागरकोहरा	बोईरडीह	18
19.	छुरिया	नागरकोहरा	तेन्दूटोला	6
20.	छुरिया	शिकारीटोला	शिकारीटोला	70
21.	छुरिया	शिकारीटोला	मंगरढेखरा	6
22.	छुरिया	शिकारीटोला	रियाटोला	25
23.	छुरिया	शिकारी महका	शिकारी महका	20
24.	छुरिया	शिकारी महका	जरहा महका	17
25.	छुरिया	पुरामटोला	पुरामटोला	13
26.	छुरिया	पुरामटोला	किरयाहाटोला	4
27.	छुरिया	भोलापुर	भोलापुर	104
28.	छुरिया	पाण्डेटोला	पाण्डेटोला	33
29.	छुरिया	पाण्डेटोला	झालाटोला	8
30.	छुरिया	बैरागी भेंडी	दीवान टोला	32
31.	छुरिया	घुपसार (कु)	घुपसार (कु)	9
32.	छुरिया	लाम मैटा	लाममेटा	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	छुरिया	लाम मैटा	कुमर्दा छुरिया	4
34.	छुरिया	भर्रीटोला (अ)	भर्रीटोला (अ)	1
35.	छुरिया	भर्रीटोला (अ)	पैरीटोला	3
36.	छुरिया	गोपालपुर	गोपालपुर	17
37.	छुरिया	गोपालपुर	बजरंगपुर	19
38.	छुरिया	जैतगुड़रा	जैतगुड़रा	5
39.	छुरिया	खोभा	खोभा	5
40.	छुरिया	पेन्ड्री डीह	पेन्ड्री डीह	2
41.	छुरिया	पेन्ड्री डीह	आको	5
42.	छुरिया	भर्रीटोला (ब)	भर्रीटोला (ब)	17
43.	छुरिया	सड़क चिरचारी	सड़क चिरचारी	16
44.	छुरिया	तेलिनबाधा	तेलिनबाधा	10
45.	छुरिया	रानीपुर खडखडी	रानीपुर खडखडी	7
46.	छुरिया	घोरतलाब	घोरतलाब	58
47.	छुरिया	घोरतलाब	चाबुकनाला	9
48.	छुरिया	पंडरापानी	पंडरापानी	18
49.	छुरिया	पंडरापानी	विचारपुर	10
50.	छुरिया	पंडरापानी	किड़काडी	1
51.	छुरिया	पंडरापानी	तेताड़कसा	0
52.	छुरिया	जोब	जोब	26
53.	छुरिया	जोब	कटेगाटोला	31
54.	छुरिया	झाड़ीखैरी	झाड़ीखैरी	2
55.	छुरिया	झाड़ीखैरी	बेदाडी	8
56.	छुरिया	झाड़ीखैरी	खेडेपार	0
57.	छुरिया	नादियाखुर्द	नादियाखुर्द	62
58.	छुरिया	नादियाखुर्द	बखरूटोला	10
59.	छुरिया	नादियाखुर्द	बिजेपार	3
60.	छुरिया	बा. चारभाठा	बा. चारभाठा	10
61.	छुरिया	केशोटोला	केशोटोला	38
62.	छुरिया	केशोटोला	पड़रामटोला	61
63.	छुरिया	केशोटोला	गिधवा मंतर	29
64.	छुरिया	घोघरे	घोघरे	2
65.	छुरिया	घोघरे	डूमरडीह	6
66.	छुरिया	हालेकोसा	हालेकोसा	45
67.	छुरिया	बूचाटोला	बूचाटोला	70
68.	छुरिया	आमगांव (छु)	आमगांव (छु)	18
69.	छुरिया	आमगांव (छु)	गेरूघाट	21
70.	छुरिया	साल्हेटोला	साल्हेटोला	58

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.	छुरिया	धरमूटोला	धरमूटोला	25
72.	छुरिया	गहिराभेड़ी	गहिराभेड़ी	25
73.	छुरिया	गहिराभेड़ी	पंडरी पथरा	11
74.	छुरिया	बेलरगोंदी	बेलरगोंदी	108
75.	छुरिया	हैदलकोडों	हैदलकोडों	48
76.	छुरिया	हैदलकोडों	बागहारा	14
77.	छुरिया	फाफामार	फाफामार	50
78.	छुरिया	फाफामार	लूलीकसा	23
79.	छुरिया	मातेखेड़ा	मातेखेड़ा	35
80.	छुरिया	मातेखेड़ा	मासूल	53
81.	छुरिया	गैंदाटोला	गैंदाटोला	39
82.	छुरिया	मेटेपार	लुङकाबोड़	23
83.	छुरिया	मेटेपार	मेटेपार	51
84.	छुरिया	भकुरा	भकुरा	16
85.	छुरिया	भकुरा	आटरा	5
86.	छुरिया	दामाबंजारी	दामाबंजारी	3
87.	छुरिया	दामाबंजारी	हाटबंजारी	2
88.	छुरिया	कल्लु बंजारी	कल्लु बंजारी	2
89.	छुरिया	कुहीकला	कुहीकला	37
90.	छुरिया	कुहीकला	कुही खुर्द	36
91.	छुरिया	जयसिंग टोला	जयसिंग टोला	8
92.	छुरिया	आलीवार	आलीवार	60
93.	छुरिया	आलीवार	खपराभाठ	9
94.	छुरिया	जोशीलमती	जोशीलमती	27
95.	छुरिया	कोलिहालमती	पठान ढोढगी	8
96.	छुरिया	कोलिहालमती	दतरेगांटोला	12
97.	छुरिया	केशाल	केशाल	14
98.	छुरिया	केशाल	हर्राटोला	6
99.	छुरिया	मुंजालपथरी	मुंजालपथरी	2
100.	छुरिया	मुंजालपथरी	ठाकुरबांधा	6
101.	छुरिया	मुंजालपथरी	चोरहा बंजारी	10
102.	छुरिया	मुंजाल कला	मुंजाल कला	9
103.	छुरिया	मुंजाल कला	लाटमेटा	0
104.	छुरिया	चिरचारीकला	चिरचारीकला	32
105.	छुरिया	सीताकसा (गै)	सीताकसा (गै)	12
106.	छुरिया	सीताकसा (गै)	जंगलपुर	13
107.	छुरिया	टिपानगढ़	टिपानगढ़	10
108.	छुरिया	टिपानगढ़	छुरिया डोंगरी	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
109.	छुरिया	टिपानगढ़	केशोखैरी	25
110.	छुरिया	घेटिया	घेटिया	6
111.	छुरिया	घेटिया	टेकेहरा	5
112.	छुरिया	घेटिया	गरापार	17
113.	छुरिया	घेटिया	खोराटोला	4
114.	छुरिया	बादराटोला	बादराटोला	25
115.	छुरिया	बादराटोला	केरेगांव	9
116.	छुरिया	अच्छोली	अच्छोली	18
117.	छुरिया	अच्छोली	करेली	23
118.	छुरिया	आमगांव (कु)	आमगांव (कु)	18
119.	छुरिया	कुमर्दा	कुमर्दा	11
120.	छुरिया	घुपसाल (कु)	घुपसाल (कु)	9
121.	छुरिया	घुपसाल (कु)	दैहान	45
122.	छुरिया	घुपसाल (कु)	मालवीचुवा	4
123.	छुरिया	खुर्सीटिकुल	खुर्सीटिकुल	35
124.	छुरिया	खुर्सीटिकुल	देवरी	3
125.	छुरिया	खुर्सीटिकुल	कन्हारपुरी	8
126.	छुरिया	चांदो	चांदो	11
127.	छुरिया	चांदो	बंशी बंजारी	0
128.	छुरिया	भंडारीभरदा	भंडारीभरदा	6
129.	छुरिया	भंडारीभरदा	मुचेदण्ड	2
130.	छुरिया	सागर	सागर	24
131.	छुरिया	सागर	बिजेपार	15
132.	छुरिया	पदगुड़ा	पदगुड़ा	20
133.	छुरिया	पदगुड़ा	खुर्सी पार	42
134.	छुरिया	बिटाल	बिटाल	4
135.	छुरिया	लक्ष्मण भरदा	लक्ष्मण भरदा	3
136.	छुरिया	लक्ष्मण भरदा	पाण्डूका	11
137.	छुरिया	लक्ष्मण भरदा	तुमड़ीलेवा	11
138.	छुरिया	आतरगांव	आतरगांव	0
139.	छुरिया	चिरचारी खुर्द	चिरचारी खुर्द	40
140.	छुरिया	चिरचारी खुर्द	सोमाझिटीया	39
141.	छुरिया	नादिया (कु)	नादिया (कु)	4
142.	छुरिया	चारभाठा (कु)	चारभाठा (कु)	13
143.	छुरिया	चारभाठा (कु)	मोतीपुर	4
144.	छुरिया	धनगांव	धनगांव	16
145.	छुरिया	धनगांव	मानिकपुर	6
146.	छुरिया	हालाडूला	हालाडूला	4

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
147.	छुरिया	हालाडूला	भेजराटोला	2
148.	छुरिया	हालाडूला	गोटाटोला	8
149.	छुरिया	पांगरी खुर्द	पांगरी खुर्द	2
150.	छुरिया	पांगरी खुर्द	पांगरी कला	6
151.	छुरिया	पांगरी खुर्द	पथरी	13
152.	छुरिया	सालहे	सालहे	12
153.	छुरिया	सालहे	मन्होरा	3
154.	छुरिया	बन नवागांव	बन नवागांव	32
155.	छुरिया	बन नवागांव	वीरूटोला	44
156.	छुरिया	आयाबांधा	आयाबांधा	52
157.	छुरिया	आयाबांधा	तुरेगढ़	5
158.	छुरिया	गिदरी	गिदरी	7
159.	छुरिया	गिदरी	चांदिया	0
160.	छुरिया	बरबसपुर	बरबसपुर	9
161.	छुरिया	बरबसपुर	संबलपुर	26
162.	छुरिया	जोधरा	जोधरा	4
163.	छुरिया	जोधरा	मोहगांव	20
164.	छुरिया	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	24
165.	छुरिया	गुण्डरदेही	कापा	85
166.	छुरिया	अरजकुंड	अरजकुंड	12
167.	छुरिया	अरजकुंड	ग्वालिनडीह	1
168.	छुरिया	अरजकुंड	माटरा	7
169.	छुरिया	अरजकुंड	खुज्जी	
170.	छुरिया	गोंडलवाही	गोंडलवाही	37
171.	छुरिया	गोंडलवाही	चिखला मटिया	8
172.	छुरिया	मासूलकसा	मासूलकसा	53
173.	छुरिया	मासूलकसा	कारूटोला	1
174.	छुरिया	मासूलकसा	आभाकटटा	5
175.	छुरिया	मासूलकसा	बावली	6
176.	छुरिया	सीताकसा (उ)	सीताकसा (उ)	12
177.	छुरिया	सीताकसा (उ)	धोबनी	36
178.	छुरिया	सीताकसा (उ)	लालूटोला	46
179.	छुरिया	चिखलाकसा	चिखलाकसा	43
180.	छुरिया	चिखलाकसा	दानीटोला	8
181.	छुरिया	चिखलाकसा	उचाईपुर	7
182.	छुरिया	उमरवाही	उमरवाही	18
183.	छुरिया	उमरवाही	गोटाटोला	8
184.	छुरिया	बडगांव	बडगांव	27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
185.	छुरिया	कलडबरी	कलडबरी	8
186.	छुरिया	कलडबरी	छिन्दी बिहरी	14
187.	छुरिया	कलडबरी	तुमडीकसा	3
188.	छुरिया	महरूम	महरूम	4
189.	छुरिया	महरूम	पतौरा	14
190.	छुरिया	रतनभाठ	रतनभाठ	16
191.	छुरिया	रानामटिया	रानामटिया	11
192.	छुरिया	रानामटिया	करमरी	5
193.	चौकी	डोंगरगांव	डोंगरगांव	22
194.	चौकी	डोंगरगांव	कहाडकसा	48
195.	चौकी	रेगाकठेरा	रेगाकठेरा	14
196.	चौकी	रेगाकठेरा	जरहाटोला	4
197.	चौकी	रेगाकठेरा	लाताकोड़ो	12
198.	चौकी	तिरपेमेटा	तिरपेमेटा	47
199.	चौकी	तिरपेमेटा	दूवालगुडरा	0
200.	चौकी	तिरपेमेटा	हजूटोला	68
201.	चौकी	रैनूटोला	रैनूटोला	46
202.	चौकी	रैनूटोला	बिटाल	56
203.	चौकी	रैनूटोला	खोराटोला	2
204.	चौकी	रैनूटोला	राजा टोला	5
205.	चौकी	सिधाभेड़ी	सिधाभेड़ी	69
206.	चौकी	सिधाभेड़ी	जन्तरगुडरा	4
207.	चौकी	आमाटोला	आमाटोला	5
208.	चौकी	हाण्डीटोला	हाण्डीटोला	119
209.	चौकी	हाण्डीटोला	एडमागोंदी	17
210.	चौकी	जादूटोला	जादूटोला	5
211.	चौकी	जादूटोला	शीकारीटोला	2
212.	चौकी	जादूटोला	राघोटोला	10
213.	चौकी	चिखली	चिखली	50
214.	चौकी	चिखली	तोयागोदी	2
215.	चौकी	मांगाटोला	मांगाटोला	4
216.	चौकी	मांगाटोला	होडीटोला	197
217.	चौकी	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	49
218.	चौकी	गुण्डरदेही	किलारगोदी	4
219.	चौकी	जोरातरई	जोरातरई	1
220.	चौकी	जोरातरई	थैलीटोला	70
221.	चौकी	ढादूटोला	ढादूटोला	52
222.	चौकी	खुर्सीपार	खुर्सीपार	3

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
223.	चौकी	खुर्सीपार	भर्रीटोला	1
224.	चौकी	खुर्सीपार	मालडेगरी	6
225.	चौकी	ब्राम्हण भेड़ी	ब्राम्हण भेड़ी	3
226.	चौकी	ब्राम्हण भेड़ी	कोटरा	19
227.	चौकी	ब्राम्हण भेड़ी	तेलीटोला	16
228.	चौकी	सांगली	सांगली	64
229.	चौकी	सांगली	केशला	54
230.	चौकी	सांगली	बोईरडीह	1
231.	चौकी	सांगली	सरभाठा	0
232.	चौकी	सांगली	सिरमुन्दा	8
233.	चौकी	हितागुटा	हितागुटा	4
234.	चौकी	हितागुटा	ठेढवार लझिया	5
235.	चौकी	हितागुटा	ब्रा. लझिया	1
236.	चौकी	थुहाडबरी	थुहाडबरी	92
237.	चौकी	थुहाडबरी	भर्रीटोला	13
238.	चौकी	ब्राम्हण भेड़ी	ब्राम्हण भेड़ी	57
239.	चौकी	ब्राम्हण भेड़ी	आटरा	7
240.	चौकी	ब्राम्हण भेड़ी	बरारमुडी	2
241.	चौकी	दाउटोला	दाउटोला	28
242.	चौकी	छछान पहरी	छछान पहरी	24
243.	डोंगरगांव	खुज्जी	खुज्जी	60
244.	डोंगरगांव	दरी	दरी	154
245.	डोंगरगांव	दरी	बेदरकट्टा	11
246.	डोंगरगांव	दरी	बघमार	58
247.	डोंगरगांव	नादिया	नादिया	35
248.	डोंगरगांव	नादिया	भटगुना	4
249.	डोंगरगांव	बढहुम	बढहुम	26
250.	डोंगरगांव	बढहुम	करेठी	6
251.	डोंगरगांव	ब. चारभाठा	ब. चारभाठा	35
252.	डोंगरगांव	खुर्सीपार	खुर्सीपार	20
253.	डोंगरगांव	खुर्सीपार	परना	11
योग				5354

परिशिष्ट “दो”

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 449) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

वर्ष 2010-11 में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह महारानी अस्पताल, जगदलपुर को निम्नानुसार औषधियों की आपूर्ति की गई है -

क्रमांक (1)	औषधियों के नाम (2)	संख्या (3)	राशि (4)	प्राप्त दिनांक (5)
1.	टेबलेट ब्रूफेन 400	5000	13250.00	29-4-10
2.	टेबलेट रानीटीडीन 150	20000	6000.00	25-6-10
3.	टेबलेट रानीटीडीन 150	12400	3720.00	25-6-10
4.	टेबलेट रानीटीडीन 150	20000	6000.00	27-8-10
5.	टेबलेट रानीटीडीन 150	50000	15000.00	1-2-11
6.	टेबलेट रानीटीडीन 300	10000	6500.00	10-8-2010
7.	टेबलेट रानीटीडीन 300	50000	32500.00	17-2-11
8.	टेबलेट पेन्टाप्राजोल	54500	29980.00	25-6-10
9.	टेबलेट पेन्टाप्राजोल	20000	11002.00	1-12-2010
10.	टेबलेट डेक्सामेथासन	11900	1231.00	25-6-10
11.	टेबलेट मेटाक्लोप्रोमाईड	10000	1650.00	25-6-10
12.	टेबलेट एसेक्लोफेनीक 100	1500	525.00	25-6-10
13.	टेबलेट विटामिन सी	17000	30600.00	29-9-10
14.	टेबलेट फेरस सल्फेट 200	50000	7250.00	25-6-10
15.	टेबलेट डाईक्लोमीन	10000	1800.00	25-6-10
16.	केपसूल फेनीटोइन 100	10000	6999.00	25-6-10
17.	टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 250	20000	38400.00	17-2-11
18.	टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500	7500	10125.00	27-9-10
19.	टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500	17100	31806.00	28-9-10
20.	टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500	32900	61194.00	17-1-11
21.	टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500	10000	19530.00	17-2-11
22.	टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500	60000	111600.00	17-2-11
23.	केपसूल डोक्सीसीलिन	5000	3125.00	13-12-10
24.	टेबलेट पारासिटामॉल	100000	18500.00	29-9-10
25.	टेबलेट पारासिटामॉल	48000	10584.00	8-12-2011
26.	टेबलेट पारासिटामॉल	52000	10920.00	17-2-11
27.	टेबलेट ओफ्लोक्सासिन 200	50000	72500.00	13-12-10
28.	टेबलेट सेटीजिन	50000	11750.00	13-12-10
29.	टेबलेट एम्लोडिपिन 5	10300	1505.00	11-1-2011

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	टेबलेट एलबेन्डाजोल 400	3000	3770.00	11-1-2011
31.	इन्जेक्शन सेफोटेक्सिम 1 एम. जी.	4560	78432.00	9-7-2010
32.	इन्जेक्शन सेफोटेक्सिम 1 एम. जी.	10000	143900.00	10-8-2010
33.	इन्जेक्शन बी. पी. 12 लोख	1000	6945.00	19-8-10
34.	इन्जेक्शन सोडियम बाई कार्बोनेट	500	2620.00	31-5-10
35.	आई. व्ही. लिमोनोकाईन 2 परसेन्ट	200	1300.00	31-5-10
36.	आई. व्ही. लिमोनोकाईन 2 परसेन्ट	100	650.00	1-12-2010
37.	आई. व्ही. मेनीटॉल 20	3000 Bott.	124380.00	19-5-10
38.	आई. व्ही. मेट्रोजिल 100 एम. एल.	15000 Bott.	105000.00	13-4-10
39.	इन्जेक्शन डोपामिन	5000	27450.00	31-5-10
40.	इन्जेक्शन सेफोटेक्सिम 250 एम. जी.	5000	32500.00	18-5-10
41.	इन्जेक्शन ए. आर. व्ही.	2000	401400.00	18-6-10
42.	इन्जेक्शन क्रोमोस्टेट	7000	38430.00	27-12-10
43.	इन्जेक्शन विटामिन बी. काम्पलेक्स	1000	1800.00	25-4-10
44.	इन्जेक्शन डाईक्लोफेनेक	5000	8200.00	28-4-10
45.	इन्जेक्शन डाईक्लोफेनेक	750	2025.00	13-12-10
46.	इन्जेक्शन डाईक्लोफेनेक	1500	4050.00	17-2-11
47.	इन्जेक्शन डाईक्लोफेनेक	10000	27000.00	28-9-10
48.	इन्जेक्शन एम्पीसिलिन 500	50000	305000.00	9-7-2010
49.	इन्जेक्शन एमिकासिन 100	1000	5400.00	9-7-2010
50.	इन्जेक्शन एमिकासिन 500	1000	10300.00	22-11-10
51.	आई. व्ही. डेक्सट्रोस 5 परसेन्ट	20111	219420.00	11-12-2010
52.	आई. व्ही. डी. एन. एस.	140	1527.00	29-5-10
53.	आई. व्ही. आर. एल.	5644	75008.00	11-12-2010
54.	आई. व्ही. इलेक्ट्रोलाईट जी	7656	119625.00	21-4-10
55.	इन्जेक्शन सी. पी. 5 लोख	5000	17500.00	9-7-2010
56.	इन्जेक्शन एड्रीनलिन	5000	7500.00	25-6-10
57.	इन्जेक्शन डाईजोबिन 25 एम. एल.	100	999.00	31-5-10
58.	इन्जेक्शन डाईजेपाम	4500	7875.00	28-4-10
59.	इन्जेक्शन मेडाजोलम	295	5000.00	25-6-10
60.	इन्जेक्शन डेरिफाईलिन	15000	30150.00	31-5-10
61.	इन्जेक्शन ओन्डेनसेट	1000	3290.00	23-7-10
62.	आई. व्ही. ओफलोक्ससिन	2656	37848.00	29-5-10
63.	इन्जेक्शन एट्रोपिन सल्फेट	2500	3750.00	25-6-10
64.	इन्जेक्शन फेनीटोइन	2060	8240.00	25-6-10
65.	इन्जेक्शन ए. एस. व्ही.	2000	486000.00	1-12-2010
66.	इन्जेक्शन मैग्निशियम सल्फेट	2500	8750.00	28-4-10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67.	आई. व्ही. लेरोफलाक्सासिन	212	6625.00	19-5-10
68.	आई. व्ही. फैट इम्यूलसियम	500	168995.00	19-5-10
69.	आई. व्ही. एमीनो एसिड	500	119500.00	19-5-10
70.	आई. व्ही. हेमेसिल	2000	294000.00	28-4-10
71.	इन्जेक्शन रानीटीडीन	6300	13860.00	28-9-10
72.	इन्जेक्शन रानीटीडीन	3700	8140.00	19-11-10
73.	इन्जेक्शन रानीटीडीन	3780	8316.00	13-12-10
74.	इन्जेक्शन रानीटीडीन	1220	2684.00	1-1-2011
75.	इन्जेक्शन कैल्सीयम ग्लूकोनेट	1000	9510.00	29-9-10
76.	इन्जेक्शन कुनैन डी. एच. एल. एल.	2000	15000.00	27-8-10
77.	इन्जेक्शन कुनैन डी. एच. एल. एल.	9000	62100.00	11-1-2011
78.	इन्जेक्शन सेफटीयाजोन 250	5000	73500.00	10-1-2011
79.	आई. व्ही. इलेक्टोलाईट पी	2944	40685.00	29-5-10
80.	आई. व्ही. एन. एस.	4032	41368.00	29-5-10
81.	आई. व्ही. डेक्सट्रोस 10 परसेन्ट	366	4818.00	29-5-10
82.	आई. व्ही. डेक्सट्रोस 10 परसेन्ट	3948	56614.00	29-5-10
83.	आई. व्ही. डेक्सट्रोस 10 परसेन्ट	3728	53459.00	1-12-2010
84.	आई. व्ही. डेक्सट्रोस 10 परसेन्ट	1272	18240.00	1-12-2010
85.	इन्जेक्शन बूपीवाकाईन 5 परसेन्ट	50	699.00	1-12-2010
86.	इन्जेक्शन बूपीवाकाईन 2.5 परसेन्ट	50	499.00	1-12-2010
87.	फेनाईल	1000 Ltr.	26000.00	29-12-10
88.	ग्लिसरिन	200 Bott.	11600.00	21-4-10
89.	सिरप पारासिटामोल	6000 Bott.	39000.00	12-12-2010
90.	पोविडिन आयोडिन लोशन	300 Bott.	18000.00	19-5-10
91.	सिरप मेमेन्डाजोल	2000 Bott.	12000.00	25-6-10
92.	पोविडिन आयोडिन ओइन्टमेन्ट	300 Jar	20997.00	25-6-10
93.	सिरप इरिथ्रोमाईसिन 60 एम. एल.	900 Bott.	12150.00	25-6-10
94.	सिरप सिफिक्सीम ड्राई	3000 Bott.	34500.00	25-6-10
95.	सिरप एम्पीसिलिन 30 एम. एल.	5000 Bott.	32500.00	25-6-10
96.	सिरप कफ 100 एम. एल.	9500 Bott.	64125.00	23-6-10
97.	सिरप कफ 100 एम. एल.	596 Bott.	4023.00	29-9-10
98.	सिरप कफ 100 एम. एल.	4000 Bott.	27000.00	12-12-2010
99.	स्प्रीट	500 Ltr.	25000.00	15-9-10
100.	सिरप आल्कासिट्रोन	238 Bott.	2856.00	25-6-10
101.	सिरप आफ्रोलोक्सासिन	500 Bott.	5250.00	25-6-10
102.	सिरप निमूसुलाईड 60 एम. एल.	5000 Bott.	32825.00	20-12-10
103.	सिरप निमूसुलाईड 60 एम. एल.	807 Bott.	5246.00	31-5-10

प्रपत्र “ब”

वर्ष 2010-11 में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह महारानी अस्पताल, जगदलपुर को निम्न फर्मों/एजेंसी द्वारा औषधियों की आपूर्ति की गई है -

क्र. (1)	फर्म का नाम (2)	औषधि का नाम (3)	संख्या (4)
1.	नोबल रेमेडिज, रायपुर	टेबलेट रानीटीडीन 150	102400
		टेबलेट रानीटीडीन 300	60000
		टेबलेट पेन्टाप्रोजोल	74500
		टेबलेट डेक्सामिथासन	11900
		टेबलेट मेटाक्लोप्रोमाईड	10000
		टेबलेट एसेक्लोफेनीक 100	1500
		टेबलेट विटामिन सी	17000
		टेबलेट फेरस सल्फेट 200	50000
		टेबलेट डाईक्लोमीन	10000
		केपसूल फनीटोइन 100	10000
		टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 250	20000
		टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500	7500
		केपसूल डोक्सीसिलिन	5000
		टेबलेट पारासिटामॉल	100000
		इन्जेक्शन सेफोटेक्सिम 1 एम. जी.	10000
		इन्जेक्शन सोडियम बाई कार्बोनेट	500
		आई. व्ही. लिग्नोकाईन 2 परसेन्ट	200
		आई. व्ही. लिग्नोकाईन 2 परसेन्ट	100
		आई. व्ही. मेनीटॉल 20 परसेन्ट	3000 Bott.
		आई. व्ही. मेट्रोजिल 100 एम. एल.	15000 Bott.
		इन्जेक्शन डोपामिन	5000
		इन्जेक्शन सेफोटेक्सिम 250 एम. जी.	5000
		इन्जेक्शन क्रोमोस्टेट	7000
		इन्जेक्शन विटामिन बी. काम्पलेक्स	1000
		आई. व्ही. डेक्सट्रोस 5 परसेन्ट	20111
		आई. व्ही. डी. एन. एस.	140
		आई. व्ही. आर. एल.	5644
		आई. व्ही. इलेक्ट्रोलाईट जी	7656
		इन्जेक्शन एड्रीनलिन	5000
		इन्जेक्शन डाईजोबिन 25 एम. एल.	100
		इन्जेक्शन डाईजेपाम	4500
		इन्जेक्शन डेरिफाईलिन	15000
		आई. व्ही. ओफ्लोक्सासिन	2656
		इन्जेक्शन एट्रोपिन सल्फेट	2500
		इन्जेक्शन फेनीटोइन	2060
		इन्जेक्शन ए. एस. व्ही.	2000
		इन्जेक्शन मैग्निशियम सल्फेट	2500
		आई. व्ही. लेरोफ्लोक्सासिन	212
		आई. व्ही. फैट इम्यूलसियम	500

(1)	(2)	(3)	(4)
		आई. व्ही. एमीनो एसिड	500
		इन्जेक्शन कैल्सीयम ग्लूकोनेट	1000
		इन्जेक्शन कुनैन डी. एच. एल. एल.	11000
		आई. व्ही. इलेक्टोलाईट पी	2944
		आई. व्ही. एन. एस.	4032
		आई. व्ही. डेक्सट्रोस 10 परसेन्ट	9314
		इन्जेक्शन बूपीवाकार्बिन 5 परसेन्ट	50
		इन्जेक्शन बूपीवाकार्बिन 2.5 परसेन्ट	50
		ग्लिसरिन	200 Bott.
		सिरप पारासिटामोल	6000 Bott.
		पोविडिन आयोडिन लोशन	300 Bott.
		सिरप मेमेन्डाजोल	2000 Bott.
		पोविडिन आयोडिन ओइन्टमेन्ट	300 Jar
		सिरप इरीथ्रोमाईसिन 60 एम. एल.	900 Bott.
		सिरप सिफिकसीम ड्राई	3000 Bott.
		सिरप एम्पीसिलिन 30 एम. एल.	5000 Bott.
		सिरप कफ 100 एम. एल.	14096 Bott.
		सिरप आल्कासिट्रोन	238 Bott.
		सिरप आफ्लोक्सासिन	500 Bott.
		सिरप निमूसुलाईड 60 एम. एल.	5807 Bott.
		सिरप निमूसुलाईड 60 एम. एल.	807 Bott.
2.	इन्डीको रेमेडिज, रायपुर	टेबलेट ब्रूफेन	5000
3.	रिशभ लेबोरोटोरिज, रायपुर	टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500	50000
		टेबलेट ओफ्लोक्सासिन 200	50000
		टेबलेट सेट्रीजिन	50000
		टेबलेट एलबेन्डाजोल 400	3000
		इन्जेक्शन सेफोटेक्सिम 1 एम. जी.	4560
		इन्जेक्शन बी. पी. 12 लोख	1000
		इन्जेक्शन डाईक्लोफेनेक	12250
		इन्जेक्शन एम्पीसिलिन 500	50000
		इन्जेक्शन एमिकासिन 100	1000
		इन्जेक्शन एमिकासिन 500	1000
		इन्जेक्शन सी. पी. 5 लोख	5000
		इन्जेक्शन रानीटीडीन	15000
		इन्जेक्शन सेफट्रीयाजोन 250	5000
4.	राजस्थान इन्टरप्राइजेस, रायपुर	टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500	10000
		टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500	60000
		टेबलेट पारासिटामॉल	100000
5.	जेस्ट फार्मा, इन्दौर	टेबलेट एम्लोडिपिन 5	10300
6.	भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद.	इन्जेक्शन ए. आर. व्ही.	2000

2011

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	जैन मेडिकल स्टोर, रायपुर	इन्जेक्शन डाईक्लोफेनेक	5000
8.	फार्माडिल, रायपुर	इन्जेक्शन मेडाजोलम	295
9.	पी. डी. पी. एल. इन्दौर	इन्जेक्शन ओन्डेनसेट	1000
10.	बागरी इन्टरप्राईजेस, रायपुर	आई. व्ही. हेमेसिल	2000
11.	धनवन्तरी, बिलासपुर	फेनाइल	1000 Ltr.
12.	छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, कुम्हारी.	स्प्रीट	500 Ltr.

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1248) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

विवाह कराये गये कन्याओं का विकासखंडवार, वर्षवार विवरण

क्रमांक (1)	विकासखंड का नाम (2)	विवाह कराये गये कन्याओं का वर्षवार विवरण		
		वर्ष 2008 (3)	वर्ष 2009 (4)	वर्ष 2010 (5)
1.	बम्हनीडीह	3	9	21
2.	सक्ती	17	5	14
3.	जैजैपुर	18	10	9
4.	अकलतरा	43	7	24
5.	पामगढ़	18	4	21
6.	नवागढ़	27	9	36
7.	मालखरौदा	12	10	8
8.	डभरा	8	3	7
9.	बलौदा	12	1	15
योग		158	58	155

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2254/2801/2009/मबावि/50 दिनांक 05-11-2009 द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को दी जाने वाली सामग्री की निर्धारित सूची

क्र.	सामग्री का विवरण	अधिकतम व्यय योग्य राशि
(1)	(2)	(3)
1.	चांदी की मंगलसूत्र एवं बिछिया	500/-
2.	वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जुते-चप्पल, चुनरी, साफा इत्यादि	1200/-
3.	गृह उपयोगी आवश्यक बर्तन/सामग्री	2300/-
	1. स्टील थाली 6 नग	
	2. स्टील गिलास 6 नग	
	3. स्टील कटोरी 6 नग	
	4. स्टील ड्रम 1 नग	
	5. स्टील लोटा 1 नग	
	6. प्रेशर कुकर 5 लीटर (आईएसआई मार्का) 1 नग	
	7. परात 1 नग	
	8. टीन की पेटी/सुटकेस 1 नग	

परिशिष्ट “चार”
[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 540) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

स्वीकृत की जानकारी

क्र.	स्वीकृत वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	खेल मैदान एवं स्टेडियम का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2007-08	पन्तोरा	बलौदा	खेल मैदान निर्माण, पन्तोरा	6.900
2.	2007-08	जर्वे	बलौदा	खेल मैदान निर्माण, जर्वे	6.900
3.	2007-08	खिसोरा	बलौदा	खेल मैदान निर्माण, खिसोरा	6.900
4.	2007-08	रसौटा	बलौदा	खेल मैदान निर्माण, रसौटा	6.900
5.	2007-08	ढोरला	बलौदा	खेल मैदान निर्माण, ढोरला	6.900
6.	2007-08	देवरी	बलौदा	खेल मैदान निर्माण, देवरी	10.520
7.	2007-08	पहरिया	बलौदा	खेल मैदान निर्माण, पहरिया	6.900
8.	2007-08	अमलीपाली	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, सोनडीह (अमलीपाली).	6.900
9.	2007-08	पकरिया (लटिया)	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, पकरिया (लटिया).	6.900
10.	2007-08	परसाहीबाना	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, परसाहीबाना	6.900
11.	2007-08	नरियरा	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, नरियरा	6.900
12.	2007-08	भैंसतरा	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, भैंसतरा	6.900
13.	2007-08	अमोरा	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, अमोरा	6.900
14.	2007-08	मधुवा	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, मधुवा	6.900
15.	2007-08	रसेडा	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, रसेडा	7.070
16.	2007-08	अर्जुनी	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, अर्जुनी	6.900
17.	2007-08	करूमहू	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, करूमहू	6.900
18.	2007-08	फरहदा	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, फरहदा	8.300
19.	2007-08	तागा	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, तागा	8.300
20.	2007-08	सोँनसरी	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, सोँनसरी	8.300
21.	2007-08	झलमला	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, झलमला	8.300
22.	2007-08	खोंड	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, खोंड	8.300
23.	2007-08	पोडीदल्हा	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, पोडीदल्हा	8.300
24.	2007-08	पिपरसत्ती	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, पिपरसत्ती	8.300
25.	2007-08	सोनादूला	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, सोनादूला	8.300
26.	2007-08	हरदी	अकलतरा	खेल मैदान निर्माण, समतलीकरण एवं फेंसिंग कार्य (कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास).	10.620

प्रपत्र “ब”

वित्तीय वर्ष 2010-11 के वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित खेल मैदान निर्माण कार्य की जानकारी

प्रस्तावित की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित खेल मैदान कार्य का नाम	प्रस्तावित लागत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अकलतरा	पडरिया	पडरिया	खेल मैदान निर्माण कार्य	7.00
2.	अकलतरा	चंगोरी	चंगोरी	खेल मैदान निर्माण कार्य	6.90
3.	अकलतरा	पिपरदा	पिपरदा	खेल मैदान निर्माण कार्य	7.45
4.	अकलतरा	पिपरदा	चंदनिया	खेल मैदान निर्माण कार्य	10.00
5.	अकलतरा	कोटगढ	कोटगढ	खेल मैदान निर्माण कार्य	2.40
6.	अकलतरा	कोटगढ	कोटगढ	खेल मैदान समतलीकरण एवं अहाता निर्माण.	6.00
7.	अकलतरा	लटिया	लटिया	खेल मैदान निर्माण कार्य	6.90
8.	अकलतरा	कल्याणपुर	कल्याणपुर	खेल मैदान निर्माण कार्य	6.90
9.	बलौदा	कटरा	कटरा	खेल मैदान निर्माण कार्य	5.00
10.	बलौदा	कटरा	बिरगहनी - ब	खेल मैदान निर्माण कार्य	5.00
11.	बलौदा	औरईकला	औरईकला	खेल मैदान निर्माण कार्य	5.50
12.	बलौदा	जूनाडीह	जूनाडीह	खेल मैदान निर्माण कार्य	5.00
13.	अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम निर्माण स्थानीय कालेज के समीप की भूमि प्लॉट नं. 2121/3.	13.84

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1987) के भाग (क) की जानकारी]

थाना सरायपाली एवं बलौदा चौकी में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद की जानकारी दिनांक 20-02-2011 की स्थिति में

स. क्र. थाना/चौकी का नाम	स्वीकृत				उपलब्ध				रिक्त									
	निरी. (3)	उ. नि. (4)	सउननि (5)	प्र. आर. (6)	आर. (7)	योग (8)	निरी. (9)	उ. नि. (10)	सउननि (11)	प्र. आर. (12)	आर. (13)	योग (14)	निरी. (15)	उ. नि. (16)	सउननि (17)	प्र. आर. (18)	आर. (19)	योग (20)
1. थाना सरायपाली	1	1	2	4	10	18	1	1	4	5	16	27	0	0	0	0	0	0
2. चौकी बलौदा	0	0	1	2	6	9	0	0	1	2	6	9	0	0	0	0	0	0

परिशिष्ट “छः”

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 26) के भाग (घ) की जानकारी]

मानवाधिकार आयोग द्वारा सेन्ट्रल स्टोर में पायी गई एक्सपायरी दवाईयों की सूची

क्र.	मेडिसिन का नाम	एक्सपायरी दिनांक	मानवाधिकार आयोग द्वारा पाई गई मात्रा/मूल्य	सूचना दिये जाने का दिनांक	स्टोर मांग पत्र से मांगी गयी मात्रा	क्रय दिनांक	मात्रा/क्रय मूल्य	नोट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	VDRL Test Kit R. P. R.	May-2010 June-2010	15000/ 17100=00	30-10-09	0	9/13-01-09	42500/ 48531=00	ब्लड बैंक विभाग की मांग पर.
2.	Tablet Glyben-clamide 5mg (DAORID).	April-2010	50/14=00	30-10-09	3000	16340/08 12-08.	3000/ 840=30	

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1951) के भाग (क) की जानकारी]

रेडी टू ईट संबंधी जानकारीयां

क्र.	रेडी-टू-ईट प्रदाय एजेंसी का नाम	आदेश प्रदाय दिनांक	कार्य आदेश जिस अवधि तक के लिए दिया गया है	दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सफरा माता महिला बचत एवं साख समिति, वार्ड 8, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	रु. 27.30
2.	दीप महिला बचत एवं साख समिति, नयापारा, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	प्रति किलो
3.	प्रभु जगन्नाथ महिला स्व सहायता समूह, वार्ड 8, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	ग्राम
4.	जागृति महिला स्व सहायता समूह, लभराखुर्द, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
5.	आस्था शक्ति महिला स्व सहायता समूह, गंजपारा, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
6.	जय कस्तूरबा महिला स्व सहायता समूह, भोरिंग, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
7.	जय सहडा महिला स्व सहायता समूह, पीढी, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
8.	मां सरस्वती महिला स्व सहायता समूह, छिलपावन, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
9.	विश्वा महिला स्व सहायता समिति बेमचा-3, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
10.	आस्था ममता महिला स्व सहायता समूह, वार्ड नं. 9, महासमुंद	29 दिसम्बर 2009	मार्च 2011	
11.	महिला स्व सहायता समूह, पटेवा, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
12.	गुरुनानक महिला बचत एवं साख समिति, वार्ड 9, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
13.	मां महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह, गंजपारा, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
14.	जय शीतला मां महिला स्व सहायता समूह, गौरखेडा, महासमुंद	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
15.	जय मां संतोषी महिला स्व सहायता समूह, छपोराडीह, महा.	30 जून 2010	मार्च 2011	
16.	संजीवनी महिला स्व सहायता समूह, क्लबपारा, महासमुंद	30 जून 2010	मार्च 2011	
17.	भवानी स्व सहायता समूह, खोपली	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
18.	आदर्श बहिनी स्व सहायता समूह, अमुर्दा	21 दिसम्बर 2009	मार्च 2011	
19.	कस्तुरबा स्व सहायता समूह बंसुलाडबरी	21 दिसम्बर 2009	मार्च 2011	
20.	जय मां कमला स्व सहायता समूह, टेडीनारा	21 दिसम्बर 2009	मार्च 2011	
21.	जय मां दुर्गा भवानी महिला स्व सहायता समूह, कुसमी	21 दिसम्बर 2009	मार्च 2011	
22.	कर्मा महिला स्व सहायता समूह, हाड़ाबंद	11 मार्च 2010	मार्च 2011	
23.	दुर्गा स्व सहायता समूह, गड़बेड़ा	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
24.	जागरूक महिला समूह, अठठारहगुडी	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
25.	इंदिरा स्व सहायता समूह, ब्राम्हणपुरी	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
26.	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, ब्राम्हणपुरी	30 जून 2010	मार्च 2011	
27.	शारदा स्व सहायता समूह, वार्ड 3 पिथौरा	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
28.	बम्लेश्वरी महिला समूह, अठठारहगुडी	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
29.	रामचण्डी महिला समूह, सल्डीह	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
30.	कस्तु स्व सहायता समूह, ठाकुरदियाखुर्द	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	शिवानी शंकर महिला स्व सहायता समूह, परसकोल, बसना	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
32.	कस्तुरबा स्व सहायता समूह, ग्राम खटखटी, बसना	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
33.	गृहलक्ष्मी समहित समूह, पैता ग्राम पंचायत, सरकंडा	30 जून 2010	मार्च 2011	
34.	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह, रूपापाली, बसना	30 जून 2010	मार्च 2011	
35.	मां महिला स्व सहायता समूह, ग्राम झारबंद, बसना	30 जून 2010	मार्च 2011	
36.	ज्योति महिला स्व सहायता समूह, कोलिहादेवरी, बसना	21 दिसंबर 2009	मार्च 2011	
37.	जय बुडादेव स्व सहायता समूह, कोलिहादेवरी, बसना	31 मार्च 2010	मार्च 2011	
38.	संजीवनी समहित समूह, पैता, बसना	31 मार्च 2010	मार्च 2011	
39.	मां गौरी महिला स्व सहायता समूह, ग्राम केना, सरायपाली	30 जून 2010	मार्च 2011	
40.	चंद्रहासिनी स्व सहायता समूह, सहजपानी, सरायपाली	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
41.	रूद्रेश्वरी महिला स्व सहायता समूह, धुंचापानी, सरायपाली	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
42.	तुलसी महिला स्व सहायता समूह, सलडीह, सरायपाली	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	
43.	एकता महिला स्व सहायता समूह, सलडीह, सरायपाली	30 जून 2010	मार्च 2011	
44.	चंपा महिला स्व सहायता समूह, सलडीह, सरायपाली	31 मार्च 2010	मार्च 2011	
45.	सरस्वती स्व सहायता समूह, गुठानीपाली, सरायपाली	29 दिसंबर 2009	मार्च 2011	
46.	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह, मुधा, सरायपाली	9 सितम्बर 2009	मार्च 2011	

परिशिष्ट “आठ”
[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1307) की जानकारी]

महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान नियम 2005 के अनुसार झूलाघरों के लिए देय अनुदान का विवरण

10 बच्चों की एक इकाई के लिए अनुदान स्वीकृति का मापदंड निम्नानुसार है :-

(अ.) **अनावर्ती लागत**

(दर्रा, टाट पट्टी, झूला, आवश्यक बर्तन इत्यादि हेतु)

(प्रथम बार तथा 5 वर्ष पश्चात् आवश्यक होने पर देय होगी)

75 प्रतिशत देय अनावर्ती अनुदान	-	5000/- रुपये
	-	3750/- रुपये

(ब.) **आवर्ती व्यय (वार्षिक)**

1.	झूलाघर संचालन हेतु कार्यकर्ता का मानदेय रु. 1000 प्रतिमाह (1000 x 12 माह)	-	12000/- रुपये
2.	आया का मानदेय रु. 500 प्रतिमाह (400 x 12 माह)	-	6000/- रुपये
3.	बच्चों के लिए पोषण आहार (1 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन वर्ष में 300 दिवस हेतु)	-	3000/- रुपये
4.	आकस्मिक व्यय हेतु रु. 500 प्रतिवर्ष	-	500/- रुपये
5.	खिलौने हेतु प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय	-	500/- रुपये
6.	भवन किराया रु. 100 प्रति माह (100 x 12 माह)	-	1200/- रुपये
	कुल राशि	-	23200/-रुपये
	90 प्रतिशत देय आवर्ती अनुदान	-	20880/-रुपये

परिशिष्ट “नौ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2028) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	कारखाना का नाम	स्थान	प्रारंभ होने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या., कवर्धा.	ग्राम राम्हेपुर	8-3-2003
2.	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या., बालोद.	ग्राम करकाभाट	15-12-2009
3.	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या., अंबिकापुर.	ग्राम केरता	10-1-2010

प्रपत्र “ब”

शक्कर कारखानों की पेराई क्षमता और वर्ष 2010 में गन्ना पेराई एवं शक्कर उत्पादन की जानकारी

क्र.	कारखाने का नाम	गन्ना पेराई क्षमता (मे. टन प्रतिदिन)	गन्ना पेराई तथा उत्पादन		
			माह	गन्ना पेराई (टन में)	शक्कर उत्पादन (क्विंटल में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या., कवर्धा.	2500	जनवरी 2010 फरवरी 2010 दिसम्बर 2010	59151 24257 51500	50942 24914 36100
2.	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या., बालोद.	1250	जनवरी 2010	2974.205	625
3.	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या., अंबिकापुर.	2500	जनवरी 2010 फरवरी 2010	8822 150	1450.50 3419.50

नोट :- दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद द्वारा दिसम्बर 2009 में 1100 टन तथा जनवरी 2010 में 2974.205 टन गन्ने की पेराई की गई, जिससे माह जनवरी 2010 में कुल शक्कर उत्पादन 625.00 क्विंटल हुआ.

परिशिष्ट “दस”

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1646) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

पद का नाम (1)	स्वीकृत (2)	रिक्त (3)
खण्ड चिकित्सा अधिकारी	1	1
भेषज विशेषज्ञ	1	1
शल्य क्रिया विशेषज्ञ	1	1
शिशु रोग विशेषज्ञ	1	1
स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	1
पी. जी. एम. ओ. (एनेस्थिसिया)	1	0
चिकित्सा अधिकारी	2	0
बी. ई. ई. ओ	1	1
लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	1	1
कम्प्यूटर डाटा आपरेटर	1	1
सहायक ग्रेड-3	1	0
लेब टेक्नीशियन	1	1
पर्यवेक्षक	1	1
एन एम एस	1	1
एम पी डब्ल्यू	1	1
रेडियो ग्राफर	1	0
ड्रेसर ग्रेड-1	1	0
वाहन चालक	2	1
फार्मासिस्ट ग्रेड-2	2	1
नर्सिंग सिस्टर	1	1
स्टाफ नर्स	3	0
एल एच व्ही	2	1
महिला स्वा. कार्य.	1	0
चतुर्थ श्रेणी	2	2
ड्रेसर ग्रेड-2	1	1
ओ. टी. अटेंडेंट	1	1
वार्ड ब्याय	2	0
आया	1	0
धोबी	1	0
चौकीदार	1	1
स्वीपर	1	0
योग	39	21

परिशिष्ट “ग्यारह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2045) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ-7-111/पुन/2007

रायपुर, दिनांक

प्रति,

कमाण्डेंट
माना केम्प
रायपुर, छ. ग.

विषय :- पी.एल. होम के विस्थापितों को दी जाने वाली सहायता की दरों में संशोधन.

—00—

रायपुर शासन, पी.एल. होम माना, जिला रायपुर के बंगाली विस्थापितों को दी जाने वाली केशडोल एवं दाह संस्कार अनुदान की वर्तमान दरों में 50% की वृद्धि करते हुए निम्नानुसार संशोधित करता है :-

क्र.	परिवारों की संख्या	वर्तमान दर (प्रतिमाह रु. में)	संशोधित दर (प्रतिमाह रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एक सदस्यी परिवार	150	225
2.	दो सदस्यी परिवार	188	282
3.	तीन सदस्यी परिवार	218	327
4.	चार सदस्यी परिवार	248	372
5.	पांच सदस्यी परिवार	278	417
6.	छः सदस्यी परिवार	308	462
7.	सात सदस्यी एवं उससे अधिक के परिवार	338	507
8.	दाह संस्कार प्रति व्यक्ति	900/-	1200/-

2. उपरोक्त वृद्धि की सहमति वित्त विभाग यू.ओ. क्रमांक 44/सी.एन.-32674/ब-5/वित्त/चार/2011 दिनांक 10-02-2011 द्वारा प्रदान की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-
(पी. निहालानी)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ-7-111/पुन/2007

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2011

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छ.ग. रायपुर
3. कलेक्टर, जिला रायपुर, छ.ग.
4. संयुक्त संचालक, कोष पेंशन एवं लेखा छ.ग. रायपुर
5. कोषालय अधिकारी, रायपुर, छ. ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सही/-

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं पुनर्वासि विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 7-110/राजस्व/पुन./2006

रायपुर, दिनांक 17/1/2007

प्रति,

कमाण्डेन्ट
माना शिविर
रायपुर.

विषय :— माना शिविर के विस्थापितों को सूती वस्त्र प्रदाय संबंधी दरों में संशोधन.

सन्दर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 389/पुन/21 (4) एच.सी./06 दिनांक 8-08-06

उपर्युक्त विषय में तत्कालीन म.प्र. शासन, पुनर्वासि विभाग के आदेश दिनांक 29-03-2000 द्वारा माना शिविर के विस्थापितों को सूती वस्त्र के 2 सेट प्रदाय करने संबंधी दरों में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रत्येक विस्थापित महिला/पुरुष/बालक/बालिका को सूती वस्त्र के 2 सेट प्रदाय करने हेतु निम्नानुसार पुनरीक्षित दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक एवं संख्या (1)	वर्तमान दरें (2)	पुनरीक्षित दरें (3)
1. महिला 392	331.50	714.20
2. पुरुष 147	265.00	624.80
3. प्रति बालक 37	135.00	237.40
4. प्रति बालिका 43	139.00	281.60

2. उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-35 पुनर्वासि 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 200-अन्य राहत उपाय 4625-स्थायी दायित्व गृह माना जिला रायपुर का संचालन 26-सामग्री और पूर्तियां 006-अन्य व्यय मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

3. उपरोक्त व्यय हेतु वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 996/सी.एन.10483/ब-5/वित्त/चार/2006 दिनांक 23-12-2006 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-
(विलियम कुजूर)

अवर सचिव
छ.ग. शासन राजस्व एवं पुनर्वासि विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 7-111/पुन/07

रायपुर, दिनांक 13/05/2008

प्रति,

कमाण्डेन्ट
माना केम्प, रायपुर (छ. ग.)

विषय :— पी.एल. होम के विस्थापितों को दी जाने वाली सहायता की दरों में संशोधित.

—00—

रायपुर शासन, पी.एल. होम माना, जिला रायपुर के विस्थापितों को दी जाने वाली केशडोल एवं दाह-संस्कार अनुदान की वर्तमान दरों में 50% की वृद्धि करते हुए निम्नानुसार संशोधित करता है :—

क्र.	परिवारों की संख्या	वर्तमान दर (प्रतिमाह दर)	संशोधित दर (प्रतिमाह दर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एक सदस्य परिवार	रु. 100/-	रु. 150/-
2.	दो सदस्य परिवार	रु. 125/-	रु. 188/-
3.	तीन सदस्य परिवार	रु. 145/-	रु. 218/-
4.	चार सदस्य परिवार	रु. 165/-	रु. 248/-
5.	पांच सदस्य परिवार	रु. 185/-	रु. 278/-
6.	छः सदस्य परिवार	रु. 205/-	रु. 308/-
7.	सात सदस्य एवं उससे अधिक के परिवार	रु. 225/-	रु. 338/-
8.	दाह संस्कार	रु. 600/- (प्र. व्यक्ति)	रु. 900/- (प्र. व्यक्ति)

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के टीप यू.ओ. क्रमांक 242/सी.एन./17060/ब-5/चार/वित्त /2008, दिनांक 17-03-2008 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-
(एन.डी.भोयर)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठं. क्रमांक 7-111/पुन/07

रायपुर, दिनांक 13/05/2008

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग की ओर यू.ओ. क्रमांक 242/सी. एन-17060/ब-5/चार/वित्त/2008, दिनांक 17-03-2008 के संदर्भ में.
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छ.ग. रायपुर
3. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर छ. ग.
4. कोषालय अधिकारी, रायपुर, छ. ग.

की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सही/-
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “बारह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 965) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में वर्ष 2010-11 में संचालित जिलेवार देशी व विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या

क्रमांक (1)	जिला का नाम (2)	वर्ष 2010-11 में संचालित मदिरा दुकानों की संख्या		
		देशी (3)	विदेशी (4)	योग (5)
1.	रायपुर	109	74	183
2.	बिलासपुर	96	37	133
3.	रायगढ़	80	19	99
4.	राजनांदगांव	41	16	57
5.	जांजगीर-चांपा	99	22	121
6.	कोरबा	27	18	45
7.	दुर्ग	99	41	140
8.	कबीरधाम	29	15	44
9.	महासमुंद	54	26	80
10.	धमतरी	31	11	42
11.	कांकेर	5	10	15
12.	बस्तर	4	6	10
13.	नारायणपुर	1	1	2
14.	दंतेवाड़ा	3	6	9
15.	बीजापुर	2	3	5
16.	सरगुजा	4	19	23
17.	कोरिया	18	15	33
18.	जशपुर	4	9	13
योग		706	348	1054

परिशिष्ट "तेरह"
[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2029) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्रमांक	जिला	विशेषज्ञ संवर्ग										योग जिलेवार														
		मेडिसिन स्वीकृत रिक्त (3)	सर्जरी स्वीकृत रिक्त (4)	शिशुरोग स्वीकृत रिक्त (5)	स्त्रीरोग स्वीकृत रिक्त (6)	ऐनेस्थीया स्वीकृत रिक्त (7)	पैथोलॉजी स्वीकृत रिक्त (8)	अस्थिरोग स्वीकृत रिक्त (9)	नेत्र रोग स्वीकृत रिक्त (10)	रेडियोलॉजी स्वीकृत रिक्त (11)	ई.एन.टी. स्वीकृत रिक्त (12)	मनोरोग स्वीकृत रिक्त (13)	कुल विशेषज्ञ स्वीकृत रिक्त (14)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1.	धमतरी	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	11	4
2.	बीजापुर	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11	7
3.	कांकेर	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	3
4.	कोरिया	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	3
5.	कोरबा	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	11	2
6.	कवर्धा	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	11	2
7.	महासमुन्द	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	11	5
8.	बिलासपुर	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	11	1
9.	रायपुर	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	11	1
10.	रायगढ़	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	15	4
11.	राजादंगांव	3	2	2	0	2	0	2	0	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	17	5
12.	सरगुजा	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	15	2
13.	दंतेवाड़ा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	11	8
14.	डुर्ग	2	0	2	1	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	15	2
15.	जशपुर	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	8
16.	जांजगीर	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	11	5
17.	नारायणपुर	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	10
योग		22	5	21	6	21	3	21	4	18	8	17	8	17	3	17	4	17	9	17	5	17	5	17	205	72

प्रपत्र "ब"

क्रमांक	जिला चिकित्सालय	चिकित्सक संवर्ग				कुल योग	
		चिकित्सा अधिकारी		दन्त चिकित्सक		चिकित्सक संवर्ग	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	धमतरी	15	5	1	1	16	6
2.	बीजापुर	15	15	1	1	16	16
3.	कांकेर	15	5	1	1	16	6
4.	कोरिया	15	13	1	1	16	14
5.	कोरबा	15	3	1	0	16	3
6.	कवर्धा	15	10	1	1	16	11
7.	महासमुन्द	15	8	1	0	16	8
8.	बिलासपुर	15	2	1	0	16	2
9.	रायपुर	22	6	1	0	23	6
10.	रायगढ़	18	5	1	0	19	5
11.	राजनांदगांव	20	11	1	1	21	12
12.	सरगुजा	20	5	1	1	21	6
13.	दंतेवाड़ा	15	5	1	1	16	6
14.	दुर्ग	18	3	1	0	19	3
15.	जशपुर	15	6	1	1	16	7
16.	जांजगीर	15	9	1	1	16	10
17.	नारायणपुर	12	12	1	1	13	13
योग		275	123	17	11	292	134

प्रपत्र "स"

क्र.	विकासखण्ड	संस्था	चिकित्सक			कर्मचारी		
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	खरसिया	सामु.स्वा.केन्द्र, चपले	08	07	01	45	27	18
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, सरवानी	02	01	01	08	03	05
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, तुरेकेला	02	01	01	08	04	04
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, जोबी	02	00	02	08	04	04
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, बर्वा	02	02	00	08	06	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, बिंजकोट	02	02	00	08	02	06
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, सोण्डका	02	01	01	05	02	03
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, गोरपार	02	01	01	05	02	03
2.	सारंगढ़	सामु.स्वा.केन्द्र, सारंगढ़	08	07	01	43	45	00
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, हिरी	02	01	01	08	05	03
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, भेडवन	02	02	00	08	06	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, गोडम	02	01	01	08	05	03
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, कोसीर	02	01	01	08	06	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, कनकबीरा	02	02	00	05	04	01
3.	पुसौर	सामु.स्वा.केन्द्र, पुसौर	08	03	05	39	42	00
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, बडेभण्डार	02	02	00	08	07	01
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, पुटकापुरी	02	02	00	08	06	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, मिड़मिडा	02	02	00	08	05	03
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, छपोरा	02	01	01	05	03	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, कोडातराई	02	02	00	08	06	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, बिंजकोट	02	02	00	05	02	03
प्राथ.स्वा.केन्द्र, जतरी	02	02	00	05	03	02		
4.	बरमकेला	सामु.स्वा.केन्द्र, बरमकेला	08	01	07	42	33	09
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, सरिया	02	01	01	08	06	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, डोगरपाली	02	01	01	08	06	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, लेन्ध्रा	02	00	02	05	03	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, बोन्दा	02	01	01	05	03	02
5.	घरघोड़ा	सामु.स्वा.केन्द्र, घरघोड़ा	08	04	04	38	34	04
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, टेण्डा नवापारा	02	02	00	08	05	03
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, कुडुमकेला	02	01	01	08	03	05
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, कया	02	02	00	08	05	03
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, बहिरकेला	02	02	00	08	02	06
6.	धर्मजयगढ़	सामु.स्वा.केन्द्र, धर्मजयगढ़	08	00	08	43	26	17
		सामु.स्वा.केन्द्र, कापू	08	00	08	31	00	31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, कुमरता	02	02	00	08	04	04
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, चाल्हा	02	02	00	08	04	04
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, हाटी	02	02	00	08	05	03
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, छाल	02	01	01	08	07	01
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, खम्हार	02	02	00	08	05	03
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, सिसरिंगा	02	02	00	08	06	02
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, बायसी	02	01	01	08	08	00
7.	लैलूंगा	सामु.स्वा.केन्द्र, लैलूंगा	08	04	04	45	39	06
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, राजपुर	02	00	02	08	05	03
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, लारीपानी	02	02	00	08	04	04
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, लमडांड	02	02	00	08	02	06
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, मुकडेगा	02	01	01	08	03	05
8.	तमनार	सामु.स्वा.केन्द्र, तमनार	08	03	05	40	27	13
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, उरबा	02	01	01	08	02	06
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, लिबरा	02	02	00	08	03	05
		प्राथ.स्वा.केन्द्र, सराईपाली	02	01	01	05	02	03
योग			154	88	66	667	447	225

परिशिष्ट “चौदह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2046) के (क) एवं (ग) भाग की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

(आंकड़े लाख रुपये में)

अनु. क्र.	योजना का नाम	आवंटित राशि		
		वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निः शक्त कल्याण योजना	1618.66	1357.19	1448.57
2.	सुधारात्मक सेवाएं	278.53	349.57	373.15
3.	निराश्रित योजना	12170.28	15169.30	18278.34

प्रपत्र “ब”

एन. जी. ओ. का नाम व पता निःशक्त कल्याण योजना

क्र. (1)	संस्था का नाम व पता (2)
1.	रायपुर खाखा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, प्रेरणा, हीरापुर, रायपुर
2.	सेवा निकेतन अपंगों का पुनर्वास केन्द्र, मंदिर हसौद, छेरीखेड़ी, रायपुर
3.	छत्तीसगढ़ हेण्डीकेप्ड वेल्फेयर सोसायटी, श्यामनगर, पीपल पेड़ के पास, रायपुर
4.	तक्षशीला अपंग विद्यालय सेवाश्रम राजिम जिला-रायपुर
5.	अपंग विद्यार्थी, सेवाश्रम बेन्त्री अभनपुर, रायपुर द्वारा :-केप्री वेज रेस्टोरेन्ट मयूरा परिसर जयस्तंभ चौक रायपुर
6.	बाल जीवन ज्योति प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र राजीव नगर शंकर नगर, रायपुर
7.	कोपलवाणी चाईल्ड वेल्फेयर आर्गनाइजेशन सुन्दर नगर मदर्स ब्राईड स्कूल के आगे रायपुर
8.	आदर्शद्वीप अक्षमता केन्द्र क्वा. 1/166 दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर
9.	विकलांग बालिका विकास गृह, बोर्ड ऑफ मेनेजमेंट फॉर महाराष्ट्र मंडल द्वारा संचालित चौबे कालोनी, रायपुर
10.	आनंद निकेतन, बधिर विद्यालय श्री राम मंदिर के पास तिलक नगर चांटापारा, बिलासपुर
11.	हेण्डीकेप्ड वोकेशनल एवं एजूकेशनल सोसायटी तिलक नगर, बिलासपुर
12.	राबर्ट कानन वाला स्मृति सेवा संस्थान पेन्द्रारोड बिलासपुर
13.	डेफ एशोसिएसन चितले कोलोनी इंदिरा सेतु के पास जिला-बिलासपुर
14.	आस्था मूक बधिर निःशक्तजनों के कल्याणार्थ शिक्षण सह पुनर्वास संस्थान, बसंतपुर, धरमकांटा के पीछे, राजनांदगांव
15.	अभिलाषा निःशक्तों के कल्याणार्थ शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, दिग्विजय स्टेडियम परिसर, राजनांदगांव
16.	मनोकामना मनोविकास केन्द्र, बल्देवगंज, राजनांदगांव
17.	लायंस चेरीटेबल ट्रस्ट “ प्रयास ” श्रवण विकलांग संस्थान जी. ई. रोड, सुपेला भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
18.	स्नेह संपदा विद्यालय, 32 बंगला चौक, सेक्टर-8 भिलाई नगर, जिला-दुर्ग
19.	ब्राईट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति, बरईपारा, दुर्ग
20.	त्रिविधा विकास समिति, 128 न्यू सिविक सेंटर भिलाई जिला-दुर्ग
21.	अर्पण स्कूल फार मेंटली हेण्डीकेप्ड चरौदा जिला दुर्ग द्वारा:-जीवन ज्योति हास्पिटल टाटीबंध रायपुर

- | (1) | (2) |
|-----|---|
| 22. | मानवता लायंस मनोविकास अनुसंधान एवं पुनर्वास केन्द्र न्यू बोरसी दुर्ग |
| 23. | भारतीय कुष्ठ निवारण संघ कात्रेनगर सोठी जांजगीर-चांपा |
| 24. | देव सेवा समिति नेताजी चौक अकलतरा रोड नवभारत कार्यालय के सामने जांजगीर-चांपा |
| 25. | मानव जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय कुनकुरी, बतौली तहसील-सीतापुर जिला-सरगुजा |
| 26. | होलिक्रॉस आंशनिकुंज विकलांग केन्द्र, सरगुजा |
| 27. | बस्तर विकलांग कल्याण परिषद् अघनपुर, पो. आ. धरमपुरा, जगदलपुर जिला-बस्तर |
| 28. | इनरव्हील एजुकेशनल सोसायटी गैलरी नं. 3, इंदिरा स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा |
| 29. | समर्पण निःशक्त बाल विकास केन्द्र गेवरा, जिला-कोरबा |
| 30. | नेत्रहीन व विकलांग प्रशिक्षण संस्था, आमाखेरवा, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया |
| 31. | ग्राम मित्र सेवा संस्था, ग्राम-गमावाड़ा विकासखंड व जिला-दंतेवाड़ा |
| 32. | नंदा सरकुलेशन संस्थान एवं अंध-मूक बधिर विद्यालय भगवानपुर रायगढ़ |

सुधारात्मक सेवाएं

- छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद्, माधवराव सप्रेशाला मैदान परिसर बूढापारा रायपुर
 - विशेष गृह (बालक) सिकोला भाठा, दुर्ग जिला-दुर्ग
 - पश्चातवर्ती देखरेख संगठन (बालक) सत्ती पारा, अंबिकापुर जिला-सरगुजा
 - पश्चातवर्ती देखरेख संगठन (बालिका) रायगढ़
 - बालगृह (बालिका) मेनरोड पोस्ट ऑफिस के सामने कांकेर जिला-कांकेर
 - विशेष गृह (बालिका) पेण्डारोड, गौरैला, जिला-बिलासपुर
 - सेवा भारती शिशुगृह चाटा पारा बिलासपुर
 - सिस्टर सुपीरियर मिशनरी आफ चैरेटी, राजेन्द्र नगर रायपुर
 - निर्मला शिशु गृह रावण भाठा रायगढ़
 - संमार्ग शिक्षा समिति लारंग साय थाना रोड़ बतौली सरगुजा
 - एस. ओ. एस. चिल्ड्रन विलेज माना कैम्प रायपुर
 - सेवा भारतीय 34 ए कालेले निवास रिक्लिंशन मार्ग चौबे कालोनी रायपुर
 - भारतीय कुष्ठ निवारण संघ कात्रे नगर जांजगीर-चांपा
 - चक्रधर वाल सदन हण्डी चौक रायगढ़
 - ज्ञानोदय एसोशिएशन विश्रामपुर सरगुजा
 - संत ज्ञानेश्वर शोध एवं सेवा संस्थान, भीमनगर मस्जिद के पास, रायपुर
 - गुरूकुल बाल आश्रम नंदनवन रायपुर

2011

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम

क्र. (1)	संस्था का नाम व पता (2)
1.	समता मंच जैन मंदिर के पीछे, सदर बाजार राजनांदगांव
2.	जन परिषद् अपराजिता भवन, पुलिस लाईन के सामने आजाद नगर बिलासपुर
3.	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, आस्था निकुंज वृद्धाश्रम धरमपुरा जगदलपुर
4.	सूरज विकास संस्थान किसान राईस मिल के पास कोण्डागांव बस्तर
5.	बुलबुल शिक्षण प्रशिक्षण संस्था उदय नगर कॉलोनी पी. जी. कालेज के सामने कांकेर
6.	शिवमंगल महिला समिति (वृद्धाश्रम) पुरानी कचहरी, कबीरधाम
7.	इण्डियन रेडक्रास सोसायटी पुलगांव, दुर्ग
8.	मां दंतेश्वरी समन्वय समिति हीरानार, पो.-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा
9.	श्री जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति श्री गुजराती समाज रोड, बनियापारा धमतरी
10.	भारतीय रेडक्रास सोसायटी मुख्य चिकित्सालय रायगढ़

परिशिष्ट “पंद्रह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2062) के भाग (क) की जानकारी]

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 के दोनों ओर स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की जानकारी :-

01. देशी मदिरा दुकानें :-

क्र.	दुकान/स्थान का नाम	लायसेंसी का नाम व पता
(1)	(2)	(3)
1.	टेड़ेसरा	श्रीमती अमरिका बाई साहू पति तेजराम साहू साकिन-ग्राम फूलझर, पो. मनगटा तहसील एवं जिला राजनांदगांव
2.	सोमनी	श्री ललन पासवान आ. रामविलास पासवान साकिन -बलिझारी कुसुन्दा जिला धनबाद झारखण्ड
3.	चिचोला नारायणगढ़	श्री उत्तम कुमार यादव आ. राधेलाल यादव साकिन-महात्मा गांधी वार्ड तहसील बालोद जिला दुर्ग
4.	उईडबरी	श्री उत्तम कुमार यादव आ. राधेलाल यादव साकिन-महात्मा गांधी वार्ड तहसील बालोद जिला दुर्ग
5.	बागनदी	श्री डामनलाल गंगवंशी आ. छेरकू राम साकिन-ग्राम खैरवाही, पो. पार्री, तहसील गुरूर जिला दुर्ग

02. विदेशी मदिरा दुकानें :-

क्र.	दुकान/स्थान का नाम	लायसेंसी का नाम व पता
(1)	(2)	(3)
1.	देवादा	श्रीमती अमरिका बाई साहू पति तेजराम साहू साकिन-ग्राम फूलझर, पो. मनगटा तहसील एवं जिला राजनांदगांव
2.	जी. ई. रोड	श्री पुनितराम दिल्लीवार आ. केजूराम दिल्लीवार साकिन -ग्राम अछोटी, पो. विनायकपुर, तहसील व जिला दुर्ग.
3.	नया बस स्टैण्ड	श्री हरिराम मारकण्डे आ. समारू मारकण्डे साकिन-ग्राम फूलझर, पो. मनगटा तहसील एवं जिला राजनांदगांव
4.	तुमड़ीबोड़	श्री हरिराम मारकण्डे आ. समारू मारकण्डे साकिन-ग्राम फूलझर, पो. मनगटा तहसील एवं जिला राजनांदगांव
5.	चिचोला रंगीटोला	श्री उत्तम कुमार यादव आ. राधेलाल यादव साकिन-महात्मा गांधी वार्ड तहसील बालोद जिला दुर्ग
6.	बागनदी	श्री डामनलाल गंगवंशी आ. छेरकू राम साकिन-ग्राम खैरवाही, पो. पार्री, तहसील गुरूर जिला दुर्ग

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “सोलह ”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क. 458) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

बस्तर जिले में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम एवं एकीकृत बाल विकास योजना हेतु प्रश्नाधीन अवधि तक प्राप्त राशि की जानकारी

क्र.	योजना	वर्ष 2009-10 में प्राप्त राशि	वर्ष 2010-11 में प्राप्त राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	11,60,00,000	18,30,00,000
2.	एकीकृत बाल विकास योजना	13,25,78,686	13,31,73,549

प्रपत्र “ब”

बस्तर जिले में पूरक पोशण आहार कार्यक्रम एवं एकीकृत बाल विकास योजना हेतु प्रथम अवधि तक आवंटित राशि में से व्यय की मदवार की जानकारी

क्र.	योजना	मद	वर्ष 2009-10 (31 मार्च 2010 तक किया गया व्यय)	वर्ष 2010-11 (31 जनवरी 2011 तक किया गया व्यय)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पूरक पोशण आहार कार्यक्रम.	पूरक पोशण आहार	105925884	94986668
2.	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना.	वेतन एवं अन्य भत्ते, यात्रा भत्ता आदि.	38660349	31583658
		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं का मानदेय आदि.	70364876	47628032
		आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया.	3382500	1192700
		आंगनवाड़ी एवं परियोजना कार्यालय का अनुरक्षण व्यय.	3439544	0
		सूचना शिक्षा संचार मद अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रसार.	1445232	4018372
		आंगनवाड़ी केन्द्रों का फ़ैलेक्सी फंड/ आकस्मिक व्यय.	3472900	42600
		कार्यालय व्यय, आकस्मिक व्यय एवं अन्य योजनागत व्यय.	2470143	623240
		प्रशिक्षण	3715242	3071325

परिशिष्ट “सत्रह”

[अतारंकित प्र न संख्या 06 (क. 974) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

महिला एवं बाल विकास अंतर्गत पर्यवेक्षक के रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	जिला	पर्यवेक्षकों के कुल रिक्त पद	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बस्तर	22	
2.	बीजापुर	27	
3.	बिलासपुर	-5	05 पर्यवेक्षक आधिक्य में पदस्थ
4.	दंतेवाड़ा	41	
5.	धमतरी	10	
6.	दुर्ग	19	
7.	जांजगीर	3	
8.	ज एलु	22	
9.	कबीरधाम	12	
10.	कांकेर	10	
11.	कोरबा	-4	04 पर्यवेक्षक आधिक्य में पदस्थ
12.	कोरिया	21	
13.	महासमुंद	19	
14.	नारायणपुर	3	
15.	रायगढ़	7	
16.	रायपुर	7	
17.	राजनांदगांव	19	
18.	सरगुजा	42	
जिलों का कुल योग		275	
19.	अन्य कार्यालयों में पदस्थ पर्यवेक्षक.	-5	05 पर्यवेक्षक आधिक्य में पदस्थ
महायोग		270	

प्रपत्र “ब ”

ज३ापुर जिले में पर्यवेक्षक के रिक्त पदों की जानकारी

क.	परियोजना	रिक्त पर्यवेक्षक सेक्टर	रिक्त होने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पत्थलगांव	पत्थलगांव ग्रामीण	2006
2.	पत्थलगांव	घरजियाबथान	27-08-2010
3.	पत्थलगांव	चिकनीपानी	2006
4.	पत्थलगांव	कोतबा	01-09-2010
5.	पत्थलगांव	सुखरापारा	27-08-2010
6.	ज ँपुर	इचकेला	24-04-2009
7.	ज ँपुर	लोदाम	24-04-2009
8.	मनोरा	मनोरा	26-06-2005
9.	मनोरा	सोनक्यारी	21-10-2010
10.	मनोरा	बेलडीह	03-05-2003
11.	मनोरा	अलोरी	03-05-2003
12.	कांसाबेल	भाब्दमुण्डा	जुलाई 2008
13.	कांसाबेल	चेटवा	अक्टूबर 2008
14.	तपकरा	तपकरा	04-05-2009
15.	तपकरा	लावाकेरा	03-05-2003
16.	तपकरा	बारो	03-05-2003
17.	तपकरा	तुमला	03-05-2003
18.	दुलदुला	कस्तुरा	03-05-2003
19.	बगीचा	घुघरी	03-05-2003
20.	बगीचा	कामारिमा	03-05-2003
21.	बगीचा	देवडांड	25-08-2010
22.	कुनकुरी	चिटकवाईन	26-11-2008

परिशिष्ट “अट्टारह”

[अतारांकित प्र न संख्या 07 (क. 1104) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	संचालित स्वास्थ्य संस्था का नाम (2)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदयपुर
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य, लखनपुर
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खम्हरिया
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलका
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केदमा
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लहपटरा
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुमगरा
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुखरी
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुन्दुरडिहारी
1.	उप स्वा. केन्द्र, झिरमिटी
2.	उप स्वा. केन्द्र, सलका
3.	उप स्वा. केन्द्र, खम्हरिया
4.	उप स्वा. केन्द्र, करौदी
5.	उप स्वा. केन्द्र, चैनपुर
6.	उप स्वा. केन्द्र, जामडीह
7.	उप स्वा. केन्द्र, रामनगर
8.	उप स्वा. केन्द्र, डाडगांव
9.	उप स्वा. केन्द्र, बासेन
10.	उप स्वा. केन्द्र, ललाती
11.	उप स्वा. केन्द्र, घाटबर्वा
12.	उप स्वा. केन्द्र, पण्डरीडॉड
13.	उप स्वा. केन्द्र, सोनतराई
14.	उप स्वा. केन्द्र, केदमा
15.	उप स्वा. केन्द्र, मरेया
16.	उप स्वा. केन्द्र, सायर
17.	उप स्वा. केन्द्र, लक्ष्मणगढ़
18.	उप स्वा. केन्द्र, मोहनपुर
19.	उप स्वा. केन्द्र, लखनपुर
20.	उप स्वा. केन्द्र, जूना लखनपुर
21.	उप स्वा. केन्द्र, अमगसी
22.	उप स्वा. केन्द्र, अन्धला
23.	उप स्वा. केन्द्र, कुवंरपुर
24.	उप स्वा. केन्द्र, केवरा
25.	उप स्वा. केन्द्र, रजपुरी
26.	उप स्वा. केन्द्र, लटोरी
27.	उप स्वा. केन्द्र, बिनकरा
28.	उप स्वा. केन्द्र, कोरजा
29.	उप स्वा. केन्द्र, गुमगराकला
30.	उप स्वा. केन्द्र, गणे ापुर

(1)	(2)
31.	उप स्वा. केन्द्र, खुटिया
32.	उप स्वा. केन्द्र, पोतका
33.	उप स्वा. केन्द्र, लहपटरा
34.	उप स्वा. केन्द्र, सिंगीटाना
35.	उप स्वा. केन्द्र, पुहपुटरा
36.	उप स्वा. केन्द्र, देवगढ़
37.	उप स्वा. केन्द्र, खैर बार
38.	उप स्वा. केन्द्र, फुन्दुरडिहारी
39.	उप स्वा. केन्द्र, गौधीनगर
40.	उप स्वा. केन्द्र, गोधनपुर
41.	उप स्वा. केन्द्र, डिग्मा
42.	उप स्वा. केन्द्र, मेन्झा खुर्द
43.	उप स्वा. केन्द्र, सकालो
44.	उप स्वा. केन्द्र, सुखरी
45.	उप स्वा. के., नमना कला
46.	उप स्वा. के., लब्जी
47.	उप स्वा. के., बकिरमा
48.	उप स्वा. के., रनपुर
49.	उप स्वा. के., हर्रा टिकरा
50.	उप स्वा. के., फतेहपुर
51.	उप स्वा. केन्द्र, सुन्दरपुर
52.	उप स्वा. के., लक्ष्मीपुर
53.	उप स्वा. के., भिट्ठी कला
54.	उप स्वा. के., बरडोढ़ी
55.	उप स्वा. के., परसोढ़ी
56.	उप स्वा. के., जगदी ापुर
57.	उप स्वा. के., कान्तीप्रका ापुर
58.	उप स्वा. के., मेन्झाकला

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारांकित प्र न संख्या 09 (क. 1260) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की जानकारी

क्र.	उद्योगों के नाम	उद्योगों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या	भास्त्रधारी सुरक्षा कर्मी		बिना भास्त्रधारी सुरक्षा कर्मी		कुल सुरक्षा कर्मी	
			छ. ग.	अन्य प्रांत	छ. ग.	अन्य प्रांत	छ. ग.	अन्य प्रांत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	गुरु मिनरल्स बस्ती बाराद्वार.	6	—	1	—	5	—	6
2.	खम्हरिया डोलोमाईट बाराद्वार	4	—	—	—	4	—	4
3.	पत्थर खदान जेठा	2	—	—	—	2	—	2
4.	आर. के. एम. पावर प्लांट उच्च. पिण्डा डभरा.	41	—	—	39	2	39	2
5.	डी. बी. पावर प्लांट बाड़ादरहा डभरा.	101	—	7	47	47	47	54
6.	भोश भौला पावर प्लांट सोठी बम्हनीडीह.	9	—	—	—	9	—	9
7.	मोनेट पंप हाऊस चन्द्रपुर	2	—	—	—	2	—	2
8.	पी. आई. एल. चांपा	24	—	—	3	21	3	21
9.	बी. के. बराल कंपनी चांपा	13	—	—	—	13	—	13
10.	मध्य भारत पेपर मिल बिरगहनी जांजगीर.	37	—	1	—	36	—	37
11.	मड़वा पावर प्लांट जांजगीर— चांपा.	104	—	—	78	26	78	26
12.	के. व्ही. के. बायो एनर्जी अमरताल.	20	—	—	6	14	6	14
13.	सी. सी. आई. अकलतरा	56	—	—	54	2	54	2
14.	के. एस. के. महानदी वर्धा अकलतरा.	152	—	3	58	91	58	94
15.	लाफार्ज सीमेंट गोपालनगर पामगढ़.	69	1	2	3	63	4	65
16.	जिन्दल पंप हाऊस बालपुर चन्द्रपुर.	6	—	—	6	—	6	—
17.	लहरी पावर प्लांट चांपा	13	—	—	13	—	13	—
योग		659	1	14	307	337	308	351

परिशिष्ट “बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क. 1319) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	जिला	आवंटन वर्ष 2009-10			आवंटन वर्ष 2010-11		
		राज्य बजट	उप समिति (एन. व्ही. डी. सी.)	योग	राज्य बजट	उप समिति (एन. व्ही. डी. सी.)	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायपुर	20396000	2023770	22419770	18467000	1182000	19649000
2.	दुर्ग	8351000	314019	8665019	6167000	83400	6250400
3.	राजनांदगांव	6866000	24896	6890896	3630000	32000	3662000
4.	महासमुंद	9590000	—	9590000	7034000	20000	7054000
5.	बिलासपुर	16921000	536000	17457000	20315000	428500	20743500

प्रपत्र “ब”

मद	रायपुर व्यय रुपयों में	महासमुंद व्यय रुपयों में	दुर्ग व्यय रुपयों में	राजनांदगांव व्यय रुपयों में	बिलासपुर व्यय रुपयों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राज्य बजट सत्र 2009-10					
वेतन	6134720	2477157	3776530	2057610	16310775
महँगाई वेतन	275287	150780	109717	59984	1535964
महँगाई भत्ता	1083777	523394	625613	310427	3255316
अन्य भत्ते	401420	237492	305249	60730	876199
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	24867	25190	88305	384538	31416
त्यौहार अग्रिम	14000	9000	18000	7000	0
घटाईये वापसियां-त्यौहार अग्रिम	-14000	-9000	-18000	-7000	0
अनाज अग्रिम	28000	18000	38000	10000	0
घटाईये वापसियां-अनाज अग्रिम	-28000	-18000	-38000	-10000	0
नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना.	1537732	1239176	1449008	0	1509099
योग	9457803	1430207	6354422	2873289	23518769
दैनिक वेतन भोगी	7588904	3233654	1172304	1190109	2023891
यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	312089	25945	278977	122847	44177
योग	312089	25945	278977	122847	44177
डाक तार पर व्यय	4000	0	5000	0	8000
दूरभाष पर व्यय	7974	15511	0	0	4689
बिजली एवं जल प्रभार	40639	0	0	0	5576
वर्दियों	22841	4000	19735	6662	19130
लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	39644	9920	19333	19658	24942
अन्य आकस्मिक व्यय	159908	109990	109690	59979	109158
पेट्रोल, तेल आदि	100000	59937	77213	99895	59829
किराया महसूल और कर	350138	338805	0	0	56413
योग	725144	538163	230971	186194	287737
अन्य व्यय	100000	99944	99904	94255	73708
चिकित्सकीय उपकरण	37050	75000	99716	0	73359
कुल योग	18220990	8625895	8236294	4466694	26021641
वेतन	965776	0	0	0	0
कुल योग	965776	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वेतन	210800	0	0	0	0
महँगाई वेतन	7400	0	0	0	0
महँगाई भत्ता	41565	0	0	0	0
योग	259765	0	0	0	0
किराया महसूल और कर	24658	0	0	0	0
योग	24658	0	0	0	0
कुल योग	284423	0	0	0	0
महायोग	19471189	8625895	8236294	4466694	26021641

राज्य बजट सत्र 2010-11 (दिस. 2010 की स्थिति में)

वेतन	4868308	2338262	3482534	2043440	10411317
महँगाई वेतन	0	50365	75587	2800	511840
महँगाई भत्ता	561667	592344	660074	352251	2628685
अन्य भत्ते	333065	200276	438548	80305	516599
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	16666	2235	0	7184	45065
त्यौहार अग्रिम	0	0	11000	0	0
घटाईये वापसियां—त्यौहार अग्रिम	0	0	-11000	0	0
अनाज अग्रिम	0	0	22000	0	0
घटाईये वापसियां—अनाज अग्रिम	0	0	-22000	0	0
नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना.	1084749	585081	984760	0	1479761

योग	6864455	3768563	5641503	2485980	15593267
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

मजदूरी	0	0	0	0	0
दैनिक वेतन भोगी	5774251	1380273	168288	107932	0
यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	0	21367	15400	199925	9237

योग	0	21367	15400	199925	9237
------------	----------	--------------	--------------	---------------	-------------

दूरभाष पर व्यय	9205	8066	0	0	5852
बिजली एवं जल प्रभार	29440	0	0	0	6420
लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	14110	0	0	2876	2735
अन्य आकस्मिक व्यय	78552	25603	11620	49762	27818
पेट्रोल, तेल आदि	120000	49955	43249	49997	49945
किराया महसूल और कर	29581	28410	29050	0	28422

योग	280888	112034	83919	102635	121192
------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्य व्यय	26670	8000	0	84984	15000
कुल योग	12946264	5290237	5909110	2981456	15738696
वेतन	1164636	0	0	0	0
महँगाई भत्ता	318624	0	0	0	0
अन्य भत्ते	99180	0	0	0	0
योग	1582440	0	0	0	0
कुल योग	1582440	0	0	0	0
वेतन	180400	0	0	0	0
महँगाई भत्ता	35038	0	0	0	0
अन्य भत्ते	1980	0	0	0	0
योग	217418	0	0	0	0
यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	29996	0	0	0	0
योग	29996	0	0	0	0
पेट्रोल, तेल आदि पर	0	0	0	0	73999
योग	0	0	0	0	73999
कुल योग	247414	0	0	0	73999
महायोग	14776118	5290237	5909110	2981456	15812695

प्रपत्र "स "

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण उप समिति जिला-रायपुर

वर्ष 2009-10 आवंटन (1)	व्यय		वर्ष 2010-11 आवंटन (4)	व्यय	
	मद (2)	रुिा (3)		मद (5)	रुिा (6)
2023770	संविदा कर्मचारी का वेतन.	386330	1182000	संविदा कर्मचारी का वेतन.	660365
	मानदेय (लेखापाल)	15000		यात्रा भत्ता	10470
	आकस्मिक व्यय	34414		दूरभाष	14101
	बैंक चार्ज	100		मलेरिया माह	5000
	फाईलेरिया कार्यक्रम.	1235695		पी. ओ. एल. अग्रिम.	25000
	जिला स्वास्थ्य समिति.	267808		—	—
	योग	1939347		योग	714936

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण उप समिति जिला-दुर्ग

वर्ष 2009-10 आवंटन (1)	व्यय		वर्ष 2010-11 आवंटन (4)	व्यय	
	मद (2)	रुिा (3)		मद (5)	रुिा (6)
314019	मानदेय	13000	83400	पम्प मरम्मत	22000
	पी. ओ. एल.	44206		बाल्टी	9600
	आकस्मिक	83218		विविध	10800
	मजदूरी	99312		आईईसी	41000
	योग	239736		योग	83400

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण उप समिति जिला-राजनांदगांव

वर्ष 2009-10 आवंटन (1)	व्यय		वर्ष 2010-11 आवंटन (4)	व्यय	
	मद (2)	राशि (3)		मद (5)	राशि (6)
24896	संविदा कर्मचारी मानदेय.	523056	32000	पी. ओ. एल.	50000
	आई.ई. सी	33150		मानदेय	10000
	आकस्मिक व्यय	23218		आकस्मिक	10333
	पी. ओ. एल.	22658		पंच, सरपंच सम्मेलन.	27000
	-	-		पॉमप्लेट	5000
	योग	602082		योग	102333

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण उप समिति जिला-महासमुंद

वर्ष 2009-10 आवंटन (1)	व्यय		वर्ष 2010-11 आवंटन (4)	व्यय	
	मद (2)	राशि (3)		मद (5)	राशि (6)
निरंक	-	-	20000	पॉमप्लेट	15000
				नारे लेखन	3000
	योग	-		योग	18000

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण उप समिति जिला-बिलासपुर

वर्ष 2009-10 आवंटन (1)	व्यय		वर्ष 2010-11 आवंटन (4)	व्यय	
	मद (2)	राशि (3)		मद (5)	राशि (6)
536000	मानदेय	476000	428500	—	—
	योग	476000		योग	—

प्रपत्र "द "

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	वर्ष 2009-10 (3)	वर्ष 2010-11 (4)
1.	रायपुर	00	00
2.	दुर्ग	00	00
3.	राजनांदगांव	00	08
4.	महासमुंद	02	02
5.	बिलासपुर	00	09
	योग	02	19

परिशिष्ट “इक्कीस ”

[अतारांकित प्र न संख्या 11 (क. 1441) के भाग (क) की जानकारी]

गुम इंसान प्रकरणों की जानकारी, जिला दुर्ग (छ. ग.)

क.	थाना	वर्ष 2007					वर्ष 2008				
		कुल प्रकरण	गुम इंसान				कुल प्रकरण	गुम इंसान			
			पुरुष	महिला	बालक	बालिका		पुरुष	महिला	बालक	बालिका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	दुर्ग	125	25	48	22	30	134	47	49	14	24
2.	मोहन नगर	50	15	17	8	10	63	12	25	13	13
3.	पुलगांव	61	22	23	6	10	61	24	25	2	10
4.	भिलाई नगर	90	25	38	15	12	98	33	32	20	13
5.	सुपेला	160	45	58	40	17	189	61	61	40	27
6.	भिलाई भट्ठी	29	11	9	7	2	23	6	9	4	4
7.	नेवई	45	11	15	10	9	44	10	16	8	10
8.	छावनी	136	30	32	42	32	126	29	38	37	22
9.	पुरानी भिलाई	60	15	23	12	10	64	16	30	8	10
10.	कुम्हारी	17	3	6	4	4	34	4	14	7	10
11.	जामुल	65	18	18	14	17	76	28	23	7	18
12.	खुर्सीपार	21	6	6	5	4	53	13	15	15	12
13.	राजहरा	32	16	7	6	3	39	10	23	3	3
14.	डोंणडी	12	5	6	—	1	8	1	2	4	1
15.	महामाया	1	1	—	—	—	2	—	1	—	1
16.	बालोद	33	16	12	3	2	42	8	23	4	7
17.	गुरुर	36	12	18	4	2	28	9	12	2	5
18.	डी. लोहारा	28	4	10	7	7	20	2	12	3	3
19.	देवरी	13	—	7	1	5	21	5	7	5	6
20.	पाटन	11	—	7	—	4	15	4	6	1	4
21.	उतई	46	18	14	5	9	56	14	27	2	13
22.	रनचिरई	19	6	8	—	5	10	3	3	3	1
23.	रानीतराई	10	1	4	2	3	10	4	5	1	—
24.	गुण्डरदेही	15	5	6	1	3	9	3	5	1	—
25.	अर्जुन्दा	22	4	12	5	1	11	6	4	1	—
26.	अण्डा	14	4	7	—	3	13	2	7	1	3
27.	बेरला	20	3	9	4	4	33	7	21	2	3
28.	नंदनी	15	2	10	1	2	25	3	13	3	6
29.	धमधा	14	3	5	3	3	24	5	9	3	7
30.	साजा	15	3	6	2	4	16	5	4	2	5
31.	बोरी	7	1	4	1	1	13	5	5	1	2
32.	बेमेतरा	29	9	11	4	5	28	6	12	—	10
33.	नवागढ़	21	7	4	3	7	9	1	5	2	1
34.	नांदघाट	28	5	11	5	7	12	3	4	—	5
35.	खम्हरिया	7	2	3	1	1	6	2	3	1	—
36.	दाढ़ी	9	3	6	—	—	3	1	1	—	1
37.	जीआरपी दुर्ग	11	5	5	1	—	13	5	4	1	3
योग		1327	361	485	244	239	1431	397	555	220	263

गुम इंसान प्रकरणों की जानकारी, जिला दुर्ग (छ. ग.)

क्र.	थाना	वर्ष 2009					वर्ष 2010				
		कुल प्रकरण	गुम इंसान				कुल प्रकरण	गुम इंसान			
			पुरुष	महिला	बालक	बालिका		पुरुष	महिला	बालक	बालिका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	दुर्ग	115	31	47	14	23	130	42	55	17	16
2.	मोहन नगर	70	17	23	17	13	100	27	40	8	25
3.	पुलगांव	50	16	25	4	5	64	16	29	7	12
4.	भिलाई नगर	88	19	34	21	14	100	23	38	26	13
5.	सुपेला	152	38	61	24	29	137	37	58	21	21
6.	भिलाई भट्ठी	24	6	10	3	5	34	13	9	5	7
7.	नेवई	49	15	19	6	9	55	13	23	8	11
8.	छावनी	154	41	57	32	24	145	42	54	20	29
9.	पुरानी भिलाई	50	16	22	4	8	62	17	26	9	9
10.	कुम्हारी	48	11	15	5	17	43	23	11	2	7
11.	जामुल	77	14	30	19	15	85	17	29	22	20
12.	खुर्सीपार	74	27	24	15	8	74	22	24	15	12
13.	राजहरा	37	10	19	3	5	54	14	29	6	5
14.	डौण्डी	14	1	6	2	5	11	1	9	—	1
15.	महामाया	7	2	2	3	—	1	—	1	—	—
16.	बालोद	36	9	20	3	4	45	11	27	—	7
17.	गुरुर	34	7	17	2	8	45	17	27	1	—
18.	डी, लोहारा	23	8	9	1	6	31	8	13	3	7
19.	देवरी	24	5	8	2	9	15	3	7	1	5
20.	पाटन	16	4	10	—	2	14	1	11	—	2
21.	उतई	52	11	26	5	10	50	14	21	5	10
22.	रनचिरई	29	7	14	3	5	22	3	15	1	3
23.	रानीतराई	8	2	4	1	1	11	3	6	1	1
24.	गुण्डरदेही	12	4	5	2	1	17	2	13	1	1
25.	अर्जुन्दा	24	6	15	—	3	20	7	9	1	5
26.	अण्डा	10	5	2	1	2	13	4	6	3	—
27.	बेरला	23	4	12	2	5	38	10	18	4	6
28.	नंदनी	24	7	11	3	3	33	6	8	5	14
29.	धमधा	16	3	9	—	4	16	3	6	3	4
30.	साजा	20	5	7	5	3	24	3	12	2	7
31.	बोरी	10	4	5	—	1	9	2	5	1	1
32.	बेमेतरा	34	10	10	7	7	47	15	12	6	14
33.	नवागढ़	14	6	3	3	2	8	2	3	1	2
34.	नांदघाट	22	6	10	1	5	18	5	6	6	1
35.	खम्हरिया	6	1	1	2	2	5	1	1	—	3
36.	दाढ़ी	8	2	3	2	1	2	1	—	—	1
37.	जीआरपी रेल	11	3	6	1	1	13	7	5	1	—
योग		1465	383	601	218	265	1591	435	666	212	282

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारांकित प्र न संख्या 13 (क. 1492) के भाग (क) की जानकारी]

मालगुजारों द्वारा दी गई भूमि का भूमिस्वामी दिये गये भूमि की सूची :-

क्र. (1)	कोटवार का नाम (2)	ग्राम का नाम (3)	रकबा (4)
1.	फिरंगीदास	खोरसी	0.67
2.	लक्ष्मण दास	परसवानी	0.56
3.	सुखीदास	मजिठा	0.51
4.	दयालूदास	अछोली	0.86
5.	छगनदास	करमा	0.51
6.	भानूदास	धोरभट्टी	0.45
7.	पीलूदास	कोसरंगी	1.64
8.	रामदास	देवरतिल्दा	0.28
9.	दयाबाई	परसवानी	0.80
10.	चैनदास	कोरासी	1.21
11.	संतोशदास	कोरासी	1.50
12.	बालचंद	भैसमुडी	2.30
13.	दया कंर	कुलीपोटा	0.57
14.	रामलाल	ढुमहा	0.64
15.	ई वरीदास	भंडारपुरी	1.04
16.	रामायन दास	सेजा	0.87
17.	तोरणसिंग	पिरदा	1.12
18.	फूलसिंग	धोरभट्टी	0.45
19.	जानकीबाई	अमसेना	1.03
20.	भगोलीदास	अमोदी	0.70
21.	अर्जुनदास	कुरुद	0.69
22.	नरेन्द्रदास	कुटेला	0.36
23.	तेजीदास	चिखली	0.47
24.	धर्मेन्द्र कुमार	भैंसा	0.89
25.	हेमलाल	मोहमेला	1.76
26.	दौलतलदास	कुसमुंद	1.07
27.	पुरानिक	समोदा	0.70
28.	पुनितराम	करमंदी	0.45
29.	जानकीबाई	कागदेही	0.66
30.	राजकुमार	चपरीद	0.63
31.	चैतुदास	बनरसी	0.56
32.	हरिदास	रानीसागर	0.44
33.	रामकुंवरबाई	के ाला	0.30
34.	मनसुखदास	तुलसी	1.08
35.	बचनदास	परसदा	1.00
36.	दानीदास	सेमरिया	0.71
37.	जेठूदास	चकवे	0.95
38.	दीनदयाल	चोरभट्टी	0.53
39.	रामस्वरूप	परसवानी	0.14

(1)	(2)	(3)	(4)
40.	रघुदास	सकरी	2.38
41.	राजेन्द्र सिंह	बाना	0.43
42.	भूशण सिंह	गुमा	0.60
43.	किसुनदास	घोट	0.35
44.	विजयदास	परसकोल	1.52
45.	प्यारीदास	खपरी	0.55
46.	जनकराम	छतौना	0.95
47.	देवानंद	बोहारडीह	0.20
48.	जयसिंह	फरफौद	0.72
49.	वि वनाथ	परसट्टी	1.58
50.	नान्हूराम	अकोलीकला	0.32
51.	नरसिंह	गुखेरा	1.13
52.	विक्रमदास	देवरी	0.33
53.	राजकुमार	भोथली	0.73
54.	लखनलाल	गुदगुदा	1.45
55.	मुकुटसिंह	कलई	0.75
56.	बृजलाल	पारागांव	2.64
57.	भयामलाल	आरंग	0.39
58.	बिसालसिंह	रसनी	2.06
59.	नारायण सिंह	बोडरा	0.79
60.	राजकुमार	बैहार	0.89
61.	ज्ञानसिंह चौहान	बोरिद	1.16
62.	रेवाराम	अकोलीकला	0.40
63.	बुधारू	सेमरिया	1.22
64.	जमुनाबाई	चटौद	1.70
65.	खुलेनदास	पचेड़ा	0.45
66.	मनहरण	मुनगी	0.79
67.	चुखचैन	चन्द्रखुरी	0.86
68.	पतैयाबाई	चन्द्रखुरी	1.14
69.	सुन्दरदास	नगपुरा	0.25
70.	कृष्णकुमार	टेकारी	2.64
71.	मनविश्राम	कुण्डा	0.71
72.	थनवार	अमेरी	0.54
73.	धीराजी	कठिया	0.80
74.	कमल सिंह	खौली	1.57
75.	धनुशराम	करही	0.70
76.	पोशणदास	डिखारी	0.55
77.	फुलदास	पिपरहट्टा	0.79
78.	त्रिलोकीदास	तोडगांव	0.56
79.	मनराखन	कुटेसर	1.05
80.	हेमू व. बुधु	खुटेरी	0.85
81.	मुके । व. चिंताराम	बकतरा	1.19
82.	इन्दरमन	दरबा	0.61
83.	रोहित	मुनरेठी	0.18
84.	विचारदास	जुगेसर	0.77
85.	खुमानदास	धनसुली	0.37

(1)	(2)	(3)	(4)
86.	विप्रसाद	बहानाकाडी	0.77
87.	दहलदास	कुरुद	0.28
88.	पुरुशोत्तम	नकटा	1.21
89.	नीलमणी	मंदिरहसौद	0.84
90.	नेमदास	मंदिरहसौद	1.39
91.	सेवकदास	छतौना	0.30
92.	भूशणदास	कोटनी	2.41
93.	सागरदास	धमनी	0.89
94.	मोहनदास	रिको	0.50
95.	लखन व. डेरहा	चीचा	1.39
96.	ठगिया	बरौदा	0.82
97.	बुधराम	कुहेरा	0.43
		कुल	84.94

परिशिष्ट “तेईस”

[अतारांकित प्र न संख्या 16 (क. 1679) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रेडी टू ईट कार्यक्रम अंतर्गत पोषण आहार वितरण हेतु नोडल इकाईयों की सूची

क. (1)	रेडी-टू ईट फुड के लिए नोडल इकाई का स्थान (2)
1.	ग्राम—मुजगहन, वि. खण्ड धमतरी, जिला धमतरी
2.	ग्राम—भटगांव, वि. खण्ड धमतरी, जिला धमतरी
3.	ग्राम—कण्डेल, वि. खण्ड धमतरी, जिला धमतरी
4.	ग्राम—कण्डेल, वि. खण्ड धमतरी, जिला धमतरी
5.	ग्राम—कुर्रा, वि. खण्ड धमतरी, जिला धमतरी
6.	ग्राम—दर्री, वि. खण्ड धमतरी, जिला धमतरी
7.	पोस्ट आफिस वार्ड, आमातालाब रोड धमतरी
8.	ग्राम—राखी, वि. खण्ड कुरुद, जिला धमतरी
9.	ग्राम—भुसरेगा, वि. खण्ड कुरुद, जिला धमतरी
10.	ग्राम—चारभाठा, वि. खण्ड कुरुद, जिला धमतरी
11.	ग्राम—सिरी, वि. खण्ड कुरुद, जिला धमतरी
12.	ग्राम—सेमरा (बी), वि. खण्ड कुरुद, जिला धमतरी
13.	ग्राम—पचपेढ़ी, वि. खण्ड कुरुद, जिला धमतरी
14.	ग्राम—नगरी, वि. खण्ड नगरी, जिला धमतरी
15.	ग्राम—गोरेगांव, वि. खण्ड नगरी, जिला धमतरी
16.	ग्राम—सांकरा, वि. खण्ड नगरी, जिला धमतरी
17.	ग्राम—भूमका, वि. खण्ड नगरी, जिला धमतरी
18.	ग्राम—बिरगुड़ी, वि. खण्ड नगरी, जिला धमतरी
19.	ग्राम—करेलीबड़ी, वि. खण्ड मगरलोड, जिला धमतरी
20.	ग्राम—पाहदा, वि. खण्ड मगरलोड, जिला धमतरी
21.	ग्राम—सेन्हाभाठा, वि. खण्ड मगरलोड, जिला धमतरी
22.	ग्राम—सौंगा, वि. खण्ड मगरलोड, जिला धमतरी
23.	ग्राम—सौंगा, वि. खण्ड मगरलोड, जिला धमतरी

प्रपत्र “ब”

रेडी टू ईट कार्यक्रम अंतर्गत प्रति हितग्राही निर्धारित पोषण आहार का विवरण

क्रमांक (1)	हितग्राही का विवरण (2)	निर्धारित रेडी टू ईट फूड की मात्रा (3)
1.	6 माह से 3 वर्ष के सामान्य बच्चे	125 ग्राम/प्रतिदिन
2.	6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे	200 ग्राम/प्रतिदिन
3.	गर्भवती एवं ि T जुवती महिलाएँ	160 ग्राम/प्रतिदिन
4.	3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे	70 ग्राम/प्रतिदिन
5.	3 से 6 वर्ष के बच्चे (ना ता हेतु)	55 ग्राम/प्रति मंगलवार, भुक्रवार

परिशिष्ट “चौबीस”

[अतारांकित प्र न संख्या 19 (क. 1878) के भाग (क) की जानकारी]

सी. बी. आई. को सौंपे गये प्रकरणों की जानकारी

- (1) थाना भिलाई भट्टी, जिला दुर्ग के अप. क्र. 52/02 धारा 379, 420, 411, 120-बी, 406, 34 भादवि 13 (1) (डी) 7, 12 (सी) पी. सी. एक्ट प्राथी निरीक्षक राजवीर सिंह, सी. आई. एस. एफ की रिपोर्ट पर फर्जी कागजात पे । कर प्लांट से म ।रूका चोरी करने की रिपोर्ट पर आरोपी मृत्युंजय सिंह एवं अन्य 08 के खिलाफ दिनांक 10-04-2002 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था. तत्प चात् दिनांक 14-10-2002 को अग्रिम कार्यवाही हेतु सी. बी. आई. को सौंपी गई.
- (2) थाना मौदहापारा जिला रायपुर के अप. क्र. 104/03 धारा 302, 427, 120-बी, 34 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट में मृतक राम अवतार जग्गी की ओर से निरीक्षक व्ही. के. पांडे द्वारा दिनांक 04-06-2003 को आरोपी वि वनाथ राजभर एवं अन्य 04 के विरुद्ध मृतक की गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था तत्प चात् दिनांक 24-01-2004 को अग्रिम कार्यवाही हेतु सी. बी. आई. को सौंपी गई.
- (3) थाना सुहेला, जिला रायपुर के अप. क्र. 95/04 धारा 306, 330 343, 201, 34 भादवि तथा 3 (2) (5) एस. सी. एस. टी. एक्ट के तहत भासन की ओर से दिनांक 13-08-2004 को आरोपी सहायक उप निरीक्षक सुभाश प्रधान एवं अन्य 05 के खिलाफ मृतक रामकुमार ध्रुव के पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था. तत्प चात् दिनांक 27-09-2006 को अग्रिम कार्यवाही हेतु सी. बी. आई. को सौंपी गई.
- (4) थाना महासमुंद, जिला महासमुंद के अप. क्र. 301/04 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के प्रकरण में प्रार्थी बी. के. सोनी पिता राधे याम सोनी उम्र 54 वर्ष, लेखापाल भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर ने दिनांक 08-07-2004 के आरोपी 01, बी. एल. यादव उर्फ भुवन पिता रामनाथ यादव निवासी श्रीराम चौक टिकरापारा, रायपुर, 02 मुके । कुमार पुरोहित पिता रामचंद्र पुरोहित उम्र 45 वर्ष साकिन रमन मंदिर फाफाडीह, रायपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था जिस पर उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया. आरोपियों पर आरोप है, कि भारतीय, खाद्य निगम के खाते से फर्जी चेक से 9957558/- रुपये निकाल लिए. विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
- दिनांक 06-09-2004 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदे । पर प्रकरण की के । डायरी मय दस्तावेज के सी. बी. आई. यूनिट भिलाई को अग्रिम विवेचना हेतु दी गयी थी.

परिशिष्ट “पच्चीस”

[अतारांकित प्र न संख्या 22 (क. 1961) के भाग (क) की जानकारी]

वर्तमान में जिला जेल, महासमुंद में वर्गवार स्वीकृत पद, भरे गये पद एवं रिक्त पद की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पद+ दि. 10-02-2011 को नवीन पुनरीक्षित सेटअप के अंतर्गत स्वीकृत पद	वर्तमान में भरे पद	पूर्व के रिक्त पद+ नवीन पुनरीक्षित सेटअप के रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अधीक्षक जिला जेल	01	—	01
2.	पदेन अधीक्षक एवं चिकित्सा अधिकारी (अं कालीन)	01	01	—
3.	चिकित्सा अधिकारी पूर्णकालीन	01	—	01
4.	चिकित्सा अधिकारी (अं कालीन)	01	01	—
5.	उप जेलर	01	01	—
6.	सहायक जेलर	03 (02+01)	—	03 (02+01)
7.	लेखापाल	01	—	01
8.	शिक्षक	01	01	—
9.	मुख्य प्रहरी	04 (03+01)	03	01 (00+01)
10.	प्रहरी	37 (19+18)	19	18 (00+18)
11.	कम्पाउंडर (फार्मासिट ग्रेड-2)	02 (01+01)	01	01 (00+01)
12.	वाहन चालक	01	—	01
13.	सफाई कर्मचारी	02	—	02
योग		56 (35+21)	27	29 (08+21)

टीप :- उपरोक्त स्वीकृत पदों में से नवीन पुनरीक्षित सेटअप के अंतर्गत सहायक जेलर का 01 पद, कम्पाउंडर (फार्मासिट ग्रेड-2) का 01 पद, मुख्य प्रहरी का 01 पद एवं प्रहरी के 18 पद कुल 21 पदों के निर्माण की स्वीकृति छ. ग. भासन, गृह (जेल) विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक-एफ 3-30/दो (तीन-जेल)/2006 रायपुर, दिनांक 10-02-2011 के अनुक्रम में जेल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1887/स्थापना/जे. मु./2011 रायपुर, दिनांक 24-02-2011 द्वारा जारी की गई है।

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारांकित प्र न संख्या 27 (क. 2012) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला-रायपुर (वर्ष 2009-10)
(01-01-2009 से 31-03-2010 तक)

क. (1)	लाइसेंस नम्बर (2)	लाइसेंसी का नाम एवं पता (3)	भास्त्र का प्रकार (4)	सीमा क्षेत्र (5)	आत्मरक्षार्थ (6)	जारी दिनांक (7)
1.	1/तीन/आर/2009	श्री राघवेंद्र चंद्राकर	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	7-1-2009
2.	2/तीन/आर/2009	श्री जितेंद्र चंद्राकर	रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	7-1-2009
3.	10/तीन/आर/2009	श्री निर्मल प्रजापति	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	20-01-2009
4.	11/तीन/आर/2009	श्री जगु सिंह ठाकुर	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	20-01-2009
5.	12/तीन/आर/2009	श्री सुनील गुप्ता	रायफल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	22-01-2009
6.	13/तीन/आर/2009	श्री दीपचंद यादव	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	22-01-2009
7.	14/तीन/आर/2009	श्री हरमिन्दर सिंह चांवाला	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	22-01-2009
8.	15/तीन/आर/2009	श्री अमर परवानी	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	28-01-2009
9.	16/तीन/आर/2009	श्री संदीप झा	12 बोर डीबीबीएल	जिला रायपुर	आत्मरक्षार्थ	29-01-2009
10.	18/तीन/आर/2009	श्री मोहम्मद सुल्तान	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	4-2-2009
11.	21/तीन/आर/2009	श्री योगे I कुमार भुक्ला	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	24-2-2009
12.	22/तीन/आर/2009	श्री टंके वर यादव	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	10-2-2009
13.	26/तीन/आर/2009	श्री एन. बैजेन्द्र कुमार	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	2-3-2009
14.	27/तीन/आर/2009	श्री अनुप कुमार सोनी	12 बोर डीबीबीएल	जिला रायपुर	आत्मरक्षार्थ	2-3-2009
15.	33/तीन/आर/2009	श्री राजकुमार सिंह चौहान	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	19-5-2009
16.	34/तीन/आर/2009	श्री रामनाथ कोसले	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	10-6-2009
17.	35/तीन/आर/2009	श्री अजय अग्रवाल	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	10-6-2009
18.	41/तीन/आर/2009	श्री विनोद अग्रमोदी	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	15-7-2009

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	42/तीन/आर/2009	श्री अंजनी कुमार सिंह	रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	25-7-2009
20.	44/तीन/आर/2009	श्री रमे I तिवारी	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	1-08-2009
21.	46/तीन/आर/2009	श्री जमील अहमद	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	12-08-2009
22.	47/तीन/आर/2009	श्री कि I र सोनी	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	17-08-2009
23.	49/तीन/आर/2009	श्री देवेन्द्र नाथ भगत	रिवाल्वर पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	31-08-2009
24.	51/तीन/आर/2009	श्री योगानंद साहू	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	4-09-2009
25.	54/तीन/आर/2009	श्री रमे I कुमार ध्रुव	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	10-09-2009
26.	58/तीन/आर/2009	श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	24-09-2009
27.	59/तीन/आर/2009	श्री प्रवीण कुमार चंद्राकर	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	30-09-2009
28.	60/तीन/आर/2009	श्रीमति हमीदा निजामी	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	8-10-2009
29.	62/तीन/आर/2009	श्री महे I कुमार पांडे	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	15-10-2009
30.	64/तीन/आर/2009	श्री रवीन्द्र सिंह चांवाला	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	9-11-2009
31.	65/तीन/आर/2009	श्री मोहर सिंह कौ I ल	रायफल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	9-11-2009
32.	66/तीन/आर/2009	श्री रईस अहमद	रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	9-11-2009
33.	67/तीन/आर/2009	श्री रविन्द्र मित्तल	पिस्टल रिवाल्वर रायफल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	9-11-2009
34.	68/तीन/आर/2009	श्री नवरत्न गोलछा	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	12-11-2009
35.	71/तीन/आर/2009	श्री अब्दुल हक	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	18-11-2009
36.	72/तीन/आर/2009	श्री वकील अहमद	रायफल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	18-11-2009
37.	5/तीन/आर/2010	श्री कबीर द्विवेदी	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	24-02-2010
38.	7/तीन/आर/2010	श्री मनराखन लाल साहू	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	4-03-2010
39.	8/तीन/आर/2010	श्री जगदी I प्रसाद दुबे	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	5-03-2010
40.	9/तीन/आर/2010	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रायपुर.	12 बोर डीबीबीएल	जिला रायपुर	आत्मरक्षार्थ	5-03-2010
41.	10/तीन/आर/2010	श्री विरेन्द्र कुमार भांडिल्य	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	9-03-2010
42.	12/तीन/आर/2010	श्री स्वामीनाथ जायसवाल	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	15-03-2010
43.	13/तीन/आर/2010	श्री नरेन्द्र कुमार भुक्ला	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	17-03-2010
44.	14/तीन/आर/2010	श्री कमल नारायण टंडन	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	19-03-2010
45.	15/तीन/आर/2010	श्री रामसिंह साहू	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	19-03-2010
46.	16/तीन/आर/2010	श्री जितेन्द्र कुमार ध्रुव	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	19-03-2010
47.	17/तीन/आर/2010	श्री दिने I सुदररनी	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	19-03-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.	18/तीन/आर/2010	श्री सुभाश इटोरिया	12 बोर डीबीबीएल	जिला रायपुर	आत्मरक्षार्थ	19-03-2010
49.	19/तीन/आर/2010	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चदनीडीह रायपुर.	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	25-03-2010
50.	20/तीन/आर/2010	श्री अ टोक सिंह	रायफल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	25-03-2010
51.	21/तीन/आर/2010	श्री विनोद तिवारी	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	27-03-2010

जिला-रायपुर (वर्ष 2010-11)
(01-04-2010 से 31-03-2011 तक)

1.	22/तीन/आर/2010	श्री विवेक सिंह	पिस्टल रिवाल्वर रायफल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	1-04-2010
2.	23/तीन/आर/2010	श्री नारायण चौरसिया	12 बोर डीबीबीएल	जिला रायपुर	आत्मरक्षार्थ	4-01-2010
3.	25/तीन/आर/2010	डॉ. नवीन बॉफना	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	23-04-2010
4.	27/तीन/आर/2010	श्री अमर मोदी	पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	29-04-2010
5.	28/तीन/आर/2010	श्री अजय सिंह ठाकुर	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	29-04-2010
6.	29/तीन/आर/2010	श्री अनुभव मसीह	रायफल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	5-11-2010
7.	30/तीन/आर/2010	श्री आ तुलेश अग्रवाल	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	5-14-2010
8.	31/तीन/आर/2010	श्री सुरे I चंद्र पारा I R	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	5-26-2010
9.	34/तीन/आर/2010	श्री राजे I पोपटानी	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	6-14-2010
10.	35/तीन/आर/2010	श्री भरत कुमार डामा	रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	6-14-2010
11.	38 ए/तीन/आर/2010	श्री विनोद राय	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	6-23-2010
12.	38 बी/तीन/आर/2010	श्री हरकेश मारवाह	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	6-29-2010
13.	39 ए/तीन/आर/2010	श्री लोके वर साहू	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	7-3-2010
14.	41/तीन/आर/2010	श्री श्रावण कुमार टंगिया	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	8-5-2010
15.	42/तीन/आर/2010	श्री परधानिया बंजारे	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	8-19-2010
16.	44/तीन/आर/2010	श्री विनय दुबे	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	9-4-2010
17.	45/तीन/आर/2010	श्री सोनु कुकरेजा	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	9-4-2010
18.	46/तीन/आर/2010	श्री आका I अग्रवाल	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	9-28-2010
19.	48/तीन/आर/2010	डॉ. भयामराज सिंह	रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	10-4-2010
20.	49/तीन/आर/2010	श्री कैला I मंडल	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	10-8-2010
21.	50/तीन/आर/2010	श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	10-8-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	54/तीन/आर/2010	श्री दिवाकर सावंत	पिस्टल	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	10-28-2010
23.	55/तीन/आर/2010	युको बैंक कृशक नगर जोरा	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	11-27-2010
24.	56/तीन/आर/2010	श्री आर. अजीत	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	12-16-2010
25.	57/तीन/आर/2010	श्री अमर जीत सिंह	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	12-16-2010
26.	58/तीन/आर/2010	श्री उत्पल भट्टाचार्य	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	12-16-2010
27.	59/तीन/आर/2010	श्री धर्मेन्द्र साहू	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	12-16-2010
28.	60/तीन/आर/2010	श्री महेन्द्र तिवारी	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	12-22-2010
29.	63/तीन/आर/2010	श्री सनत कुमार पांडे	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	12-31-2010
30.	64/तीन/आर/2010	श्री राजे T त्रिपाठी	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	12-31-2010
31.	1/तीन/आर/2010	श्री सुबोध कुमार सिंह	12 बोर डीबीबीएल एवं पिस्टल रिवाल्वर	संपूर्ण भारत	आत्मरक्षार्थ	1-7-2011
32.	2/तीन/आर/2010	श्री युको बैंक पें लबाड़ा रायपुर.	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	1-13-2011
33.	7/तीन/आर/2011	श्री उमे T कुमार तिवारी	12 बोर डीबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	1-29-2011
34.	8/तीन/आर/2011	श्री अब्दुल नासिर खान	रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	1-29-2011
35.	9/तीन/आर/2011	श्री टिके वर मनहरे	रायफल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	2-1-2011
36.	11/तीन/आर/2011	प्रबंधक युको बैंक कसडोल	12 बोर डीबीबीएल	रायपुर एवं बिलासपुर	आत्मरक्षार्थ	2-8-2011
37.	12/तीन/आर/2011	श्री अनुपम कुमार साहू	12 बोर एसबीबीएल	संपूर्ण छ. ग.	आत्मरक्षार्थ	2-9-2011
38.	13/तीन/आर/2011	श्री अनिरुद्ध कुमार पांडेय	पिस्टल रिवाल्वर	चार राज्य	आत्मरक्षार्थ	2-22-2011

प्रपत्र “ब”

जिला-कबीरघाम (वर्ष 2009-10)
(01-01-2009 से 31-03-2010 तक)

स. क्र.	भास्त्रधारी का नाम	लायसेंस जारी करने का दिनांक	लायसेंस जारी करने का आधार	सीमा क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सियाराम साहू आ.-श्री नेमसिंह साहू सा.-बिरकोना पिपरिया.	22-06-2009	आत्मरक्षार्थ	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु
2.	श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी आ. श्री गणे । प्रसाद तिवारी कवर्धा.	16-11-2009	सुरक्षागार्ड हेतु	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु

जिला-कबीरघाम (वर्ष 2010-11)
(01-01-2010 से 31-03-2011 तक)

1.	श्री संतमणी उपाध्याय, आ.-श्री लक्ष्मीकांत उपाध्याय, सा.-चिल्फी थाना-चिल्फी.	05-05-2010	सुरक्षागार्ड हेतु	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु
2.	श्री गणे । सिंह आ.-श्री नकुल सिंह सा.-गुन्झेटा.	14-10-2010	आत्मरक्षार्थ	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु
3.	श्री टिकेन्द्र प्रसाद आ.-श्री रामायण प्रसाद तिवारी सा.-टाटीकसा.	30-10-2010	सुरक्षागार्ड हेतु	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु
4.	श्री भयाम तम्बोली आ.-श्री नानूक राम तम्बोली कवर्धा.	03-12-2010	आत्मरक्षार्थ	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु
5.	श्री प्रज्ञे । तिवारी, आ.-श्री रमे । तिवारी, सा. दुल्लापुर.	03-12-2010	आत्मरक्षार्थ	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु
6.	श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा, आ.-श्रीधर मिश्रा, सा.-कवर्धा	03-01-2011	सुरक्षागार्ड हेतु	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु

परिशिष्ट “सत्ताईस”

[अतारांकित प्र न संख्या 29 (क. 2032) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

निःप्राक्तजन प्रािविरो में दी गई सुविधाओं की योजनावार जानकारी :-

क्र.	प्रािवि स्थल का नाम	प्रािवि दिनांक एवं दिन	योजना का नाम	उपलब्ध कराई गई सुविधाएं	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जनपद पंचायत परिसर, पुसौर	13-02-2010 भानिवार	दीनदयाल निः प्राक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम.	निः प्राक्तजनों को मेडिकल प्रमाण-पत्र/ परिचय पत्र.	188
2.	जनपद पंचायत परिसर, धरमजयगढ़.	14-02-2010 भुक्रवार	दीनदयाल निः प्राक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम.	निः प्राक्तजनों को मेडिकल प्रमाण-पत्र/ परिचय पत्र.	90
3.	जनपद पंचायत परिसर, बरमकेला.	17-02-2010 बुधवार.	1. दीनदयाल निः प्राक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम. 2. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना.	निः प्राक्तजनों को मेडिकल प्रमाण-पत्र/ परिचय पत्र. ट्रायसायकल	201 33
4.	जनपद पंचायत परिसर, तमनार	20-02-2010 भानिवार	दीनदयाल निः प्राक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम.	निः प्राक्तजनों को मेडिकल प्रमाण-पत्र/ परिचय पत्र.	120
5.	जनपद पंचायत परिसर, घरघोड़ा.	24-02-2010 बुधवार.	1. दीनदयाल निः प्राक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम. 2. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना.	निः प्राक्तजनों को मेडिकल प्रमाण-पत्र/ परिचय पत्र. ट्रायसायकल	130 11
6.	जनपद पंचायत परिसर, लैलूंगा.	25-02-2010 गुरुवार.	1. दीनदयाल निः प्राक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम. 2. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना.	निः प्राक्तजनों को मेडिकल प्रमाण-पत्र/ परिचय पत्र. ट्रायसायकल बै ाखी	336 7 7
7.	पंचायत सचिव प्रािक्षण संस्थान परिसर-रायगढ़.	26-02-2010 भुक्रवार.	दीनदयाल निः प्राक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम.	निः प्राक्तजनों को मेडिकल प्रमाण-पत्र/ परिचय पत्र.	64
8.	जनपद पंचायत परिसर, सारंगढ़	05-03-2010 भुक्रवार.	1. दीनदयाल निः प्राक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम. 2. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना.	निः प्राक्तजनों को मेडिकल प्रमाण-पत्र/ परिचय पत्र. ट्रायसायकल बै ाखी व्हीलचेयर श्रवण यंत्र	485 19 12 8 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	जनपद पंचायत परिसर, खरसिया.	10-03-2010 बुधवार.	दीनदयाल नि: ाक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम.	नि: ाक्तजनों को मेडिकल प्रमाण-पत्र/ परिचय पत्र.	85
वर्ष 2010-11					
10.	नगर पालिक निगम प्रांगण रायगढ़.	9-4-2010 भुक्रवार.	1. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना. 2. नि: भाक्तजन विवाह प्रोत्साहन.	ट्रायसायकल बै ाखी व्हीलचेयर श्रवण यंत्र अं ादान प्रोत्साहन बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रु. 21000/-	113 31 03 48 1

परिशिष्ट “अट्‌टाईस”
[अतारांकित प्र न संख्या 33 (क. 2048) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

स. क्र.	वर्ष	खेल मैदान का नाम	कार्य का नाम	प्रदाय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2008-09	सप्रे गाला इंडोर हॉल, रायपुर.	सप्रे गाला इंडोर हॉल में टेबिल टेनिस ग्राउन्ड के लिये फ्लोरिंग कार्य हेतु.	12,12,000/-
2.	2009-10	सप्रे गाला इंडोर हॉल, रायपुर.	सप्रे गाला इंडोर हॉल में बेडमिन्टन खेल ग्राउन्ड में एकेलिक सरफेस लगाने हेतु.	3,85,000/-
3.	2010-11	पुलिस लाईन मैदान, रायपुर.	पुलिस लाईन मैदान के बास्केटबॉल मैदान में ट्वेयलेट आदि कार्य के लिये प्रथम स्तरीय प्राक्कलन भाग-1 के अनुसार.	50,000/-
4.	2010-11	पुलिस लाईन मैदान, रायपुर.	पुलिस लाईन मैदान के बास्केटबॉल मैदान के ट्वेयलेट आदि कार्य के लिये प्रथम स्तरीय प्राक्कलन भाग-2 के अनुसार.	50,000/-
5.	2010-11	पुलिस लाईन मैदान, रायपुर.	पुलिस लाईन मैदान के बास्केटबॉल मैदान में चेजिंग रूम आदि कार्य के लिये प्रथम स्तरीय प्राक्कलन भाग-1 के अनुसार.	50,000/-
6.	2010-11	पुलिस लाईन मैदान, रायपुर.	पुलिस लाईन मैदान के बास्केटबॉल मैदान में चेजिंग रूम आदि कार्य के लिये प्रथम स्तरीय प्राक्कलन भाग-2 के अनुसार.	50,000/-
7.	2010-11	पुलिस लाईन मैदान, रायपुर.	पुलिस लाईन मैदान के व्हालीबॉल मैदान में ट्वेयलेट आदि कार्य के लिये प्रथम स्तरीय प्राक्कलन भाग-1 के अनुसार.	50,000/-
8.	2010-11	पुलिस लाईन मैदान, रायपुर.	पुलिस लाईन मैदान के व्हालीबॉल मैदान में ट्वेयलेट आदि कार्य के लिये प्रथम स्तरीय प्राक्कलन भाग-2 के अनुसार.	50,000/-
9.	2010-11	पुलिस लाईन मैदान, रायपुर.	पुलिस लाईन मैदान के व्हालीबॉल मैदान में चेजिंग रूम आदि कार्य के लिये प्रथम स्तरीय प्राक्कलन भाग-1 के अनुसार.	50,000/-
10.	2010-11	पुलिस लाईन मैदान, रायपुर.	पुलिस लाईन मैदान के व्हालीबॉल मैदान में चेजिंग रूम आदि कार्य के लिये प्रथम स्तरीय प्राक्कलन भाग-2 के अनुसार.	50,000/-

स्कूल प्रीक्षा विभाग

स. क्र.	वर्ष	खेल मैदान का नाम	कार्य	प्रदाय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	2008-09	निरंक	—	0
2.	2009-10	भा. उ. मा. भा. मठपुरैना, रायपुर.	खेल मैदान समतलीकरण	1,00,000/-
3.	2010-11	भा. जे. आर. दानी कन्या उ. मा. भा., रायपुर.	खेल मैदान समतलीकरण एवं नाली निर्माण.	5,00,000/-

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1.	2008-09	महिर्शि वाल्मिकी वार्ड लाभांडी	महिर्शि वाल्मिकी वार्ड लाभांडी में खेल मैदान हेतु एप्रोच रोड मैदान समतलीकरण, गैलरी एवं स्टेज निर्माण.	7.05 लाख
2.	2008-09	गोंदवारा खेल मैदान	खेल मैदान समतलीकरण एवं गैलरी का निर्माण बाबत.	3.86 लाख
3.	2009-10	महामाया मंदिर चिरोँजी तालाब.	खेल मैदान में मुरुमीकरण एवं सरहदी दीवाल के प्लीथ का निर्माण किया गया.	3.83 लाख
4.	2010-11	निरंक	निरंक	0